# वार्षिक रिपोर्ट

# Annual Report
# 2016-2017

## भारत सरकार
## Government of India

## विधि और न्याय मंत्रालय
## Ministry of Law and Justice

# प्रस्तावना

विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में उस समय हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को किसी एकल प्राधिकारी, अर्थात गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित किया था। इस प्राधिकार के नाते और इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सन् 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग उसके अधीन गठित भारत के विधानमंडल द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय स्वमतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 से भारत का संविधान लागू होने के बाद विधायी शक्ति संसद में निहित है।

# मंत्रालय का संगठन

विधि और न्यासय मंत्रालय में विधायी विभाग, विधि कार्य विभाग और न्यावय विभाग सम्मिलित हैं। जहां तक न्याय विभाग का संबंध है, उसका विवरण एक पृथक अध्यायय (अध्याय III) में दिया गया है।

विधि कार्य विभाग केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को विधिक सलाह देता है जबकि विधायी विभाग केन्द्रीय सरकार के प्रधान विधान के प्रारूपण का कार्य करता है।

## मिशन

सरकार को एक दक्ष और उत्तरदायी वादकारी बनाना विधि शिक्षा, विधि व्यवसाय और भारतीय विधि सेवा सहित विधिक सेवाओं में विस्तारि, समावेशन और उत्कृयष्टिता लाने के लिए भारतीय विधि व्यववस्था में सुधार करना विधिक पेशेवरों के सृजन की एक प्रणाली विकसित करना ताकि वे न केवल भारत के बल्कि विश्व के मुकदमा और गैर–मुकदमा क्षेत्रों की भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें, तथा उनके सामाजिक उत्तररदायित्व और एक दृढ़ व्यायवसायिक आचार नीति पर ध्यान केंद्रित करना। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मुकदमों की भारी तादाद (3.3 करोड़), उसके फलस्वरूप राजकोष पर और मानवशक्ति सहित संसाधनों पर बढ़ते हुए बोझ जैसी बाधाओं को देखते हुए तथा सरकारी प्राधिकारियों को व्यापक विवेकाधीन शक्तिंयां प्रदान करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारे मिशन का लक्ष्य प्रशासनिक शक्ति के सुव्यवस्थित प्रवाह, विरोध के प्रबंधन, विधि का शासन लागू करने और सरकार के विभिन्न स्कंधों द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद देने के लिए एक उचित विधिक ढांचा तैयार करना है।

## उद्देश्य

- मंत्रालयों और विभागों द्वारा भेजे गए मामलों पर विधिक सलाहराय देकर और उनके विधायी प्रस्तावों की जांच करके उनके कार्य संचालन में सहायता देना और सुशासन को बढ़ाना।
- भारतीय विधि सेवा में सुधार करके उसे अधिक दक्ष, अनुक्रियाशील और वैश्विशक स्तार पर प्रतिस्पर्धा के योग्यक बनाना।
- केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के लिए एक वृहद ई–शासन प्रणाली विकसित करना और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर विधि कार्य विभाग को नया रूप देना।
- मुकदमों को कम करना और विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों द्वारा विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करना।

- विधि व्यवसाय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और विधि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन युग के प्रवर्तन की रूपरेखा तैयार करना।
- विधिक सुधार करना।
- इस विभाग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों, अर्थात अधिवक्तो अधिनियम, 1961, नोटरी अधिनियम, 1952, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और अधिवक्ता1 कल्यानण निधि अधिनियम, 2001 को प्रभावी रूप से लागू करना।

भारत सरकार (कार्य आवंटन नियमावली–1961, समय–समय पर यथा–संशोधित) के अनुसार, न्याय विभाग द्वारा देखे जा रहे विषयों में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नांकित शामिल हैं:–

(i) भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनका वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ते सहित) के बारे मैं अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते।

(ii) राज्यों के उच्चि न्या यालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनके वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ते सहित) के बारे मैं अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते।

(iii) संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति।

(iv) उच्चतम न्यायालय का संघटन और संगठन (न्यायिक क्षेत्राधिकार और शक्तियों को छोडकर) (किंतु इन न्यायालय की अवमानना सहित) और इनमें लिया गया शुल्क

(v) उच्च न्यायालयों और न्याययिक आयुक्तों के न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के प्रावधानों को छोड़कर इन न्यायालयों का गठन और आयोजन।

(vi) संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय का प्रशासन और न्यायालयों का गठन और आयोजन तथा इस प्रकार के न्यायालयों में लिया जाने वाला शुल्क।

(vii) संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी।

(viii) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन।

(ix) जिला न्याायाधीशों और संघ राज्य क्षेत्रों की उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की सेवा संबंधी शर्तें।

(x) किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का किसी संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तांरित करना अथवा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी संघ राज्य क्षेत्र को बाहर रखना।

(xi) गरीबों को विधिक सहायता

(xii) न्याय का प्रशासन

(xiii) न्याय प्रदायगी तक पहुंच और विधिक सुधार।

## 2. न्यायाधीशों की नियुक्ति

### क. भारत का उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का संख्याबल (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) 31 है।

31.12.2016 की स्थिति के अनुसार पदासीन न्यायाधीशों की संख्या 24 हैऔर न्यायाधीशों के सात पद भरे जाने के लिए रिक्त हैं। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर की 04 जनवरी, 2017 से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्ति के लिए अधिसूचना 19–12–2016 को जारी की गई।

## ख. भारत के उच्च न्यायालय

31.12.2016 की स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1079 है और पदासीन न्यायाधीशों की कुल संख्या 650 है और न्यायाधीशों के 429 पद भरे जाने के लिए शेष हैं। दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान, अधिवर्षिता, पद त्याग इत्यादि की वजह से उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 74 पद रिक्त हो गए। उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की संख्या भी 1044 से बढकर 1079 हो गई है। उपर्युक्त अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की 126 नई नियुक्तियां की गई हैं और 131 अपर न्यायाधीशों को स्थाई किया गया है जो गत 26 वर्षों में की गई नियुक्तियों की सर्वाधिक संख्या है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों के 22 अपर न्यायाधीशों के कार्यकाल को भी बढ़ाया गया है।

## ग. मौजूदा प्रक्रिया–ज्ञापन को अनुसमर्थित करना।

उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 16–12–2015 के अपने आदेश द्वारा "कॉलेजियम प्रणाली" के बारे में सुधार संबंधी अपना आदेश सुनाया और इस आदेश के तहत अन्य बातों के साथ–साथ निर्णय किया गया कि "भारत सरकार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से पारदर्शिता, सचिवालय, पात्रता मानदंड और शिकायत तंत्र जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रक्रिया– ज्ञापन को अंतिम रूप दे सकती है। यह भी निर्धारित किया गया कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति चार वरिष्ठतम अवर न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम की सर्वसम्मत राय के आधार पर निर्णय लेंगे।

भारत सरकार ने समुचित विचार–विमर्श करने के पश्चात मसौदा प्रक्रिया–ज्ञापन में परिवर्तनों का प्रस्ताव किया जिन्हें दिनांक 22–03–2016 के पत्र द्वारा भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को प्रेषित किया गया। सरकार का प्रयास है कि वर्तमान प्रक्रिया–ज्ञापन को उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा स्थापित मानकों के भीतर नियुक्ति–प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने के साथ–साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए अनुसमर्थित किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का प्रत्युत्तर दिनांक 25–05–2016 और 01–07–2016 को प्राप्त हुआ। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने संशोधित प्रक्रिया–ज्ञापन में दिए गए कुछ सुझावों पर सहमति जताई है जबकि इसने कुछ अन्य प्रावधानों को स्वीकार नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने सरकार के अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के अनेक प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए

हैं। सरकार की राय को 03–08–2016 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संप्रेषित किया गया। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

इस दौरान, भारत सरकार की पहल पर न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने का मामला उच्चतम न्यायालय के साथ उठाया गया और न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया विद्यमान प्रक्रिया–ज्ञापन के अनुसार की जा रही है।

## 3. उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय अधिनियमों में संशोधन

(1) समय के व्यतीत होने के साथ, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1958 के कुछ परंतुक समयातीत हो गए थे और दोनों अधिनियमों में न्यायाधीशों के छुट्टी भत्तों के निर्धारण से संबन्धित कुछ परंतुकों को सरल बनाए जाने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 31–03–2016 के अपने निर्णय में निदेश दिया था कि पेंशन संबंधी लाभ के लिए विधिज्ञ परिषद से प्रोन्नत न्यायाधीशों के लिए अर्हक सेवा के रूप में अधिवक्ता की दस वर्षों की प्रेक्टिस को भी जोड़ा जाए। उपर्युक्त प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन की मंशा से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा–शर्तें) विधेयक, 2015 नामक विधेयक अनुमोदित किया गया। उपर्युक्त विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में विचार करके इसे पारित किया गया। विधेयक को भारत राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त होने पर दिनांक 05–04–2016 को अधिसूचित कर दिया गया है।

(2) भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन आदि में वृद्धि करने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा–शर्तें) अधिनियमों में संशोधन करने संबंधी मंत्रिमंडल नोट को अंतिम रूप दिया गया है और माननीय विधि और न्याय मंत्री ने इसे अनुमोदित कर दिया है। अंतिम मंत्रिमंडल नोट मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा जा रहा है।

(3) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

भारत के मुख्य न्यायमूर्तिध्न्यायाधीशों की समिति की सिफारिशों पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की समीक्षा अलग से की जाती है। भारत के मुख्य न्यायमूर्तिध्न्यायाधीशों की समिति ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में संशोधन के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में संशोधन करने के लिए उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1954 में कुछ परिवर्तन किए जाने प्रस्तावित हैं। मंत्रिमंडल हेतु मसौदा नोट तैयार कर लिया गया है और पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, व्यय विभाग, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग से टिप्पणियांधविचार मांगे गए हैं, जिनकी अभी प्रतीक्षा है।

## 4. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत 1993 में (17.08.1993 से प्रभावी) स्थापित एक स्वायत्त शासी संस्था है। इस सोसाइटी के मुख्य उद्देश्य देश में राष्ट्रीय न्यायपालिका को विकसित करना और न्याय के प्रशासन, न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान और नीति निर्माण को सुदृढ़ करना है। यह स्वतंत्र निकाय, न्याय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय में स्थित अपने कार्यालय से कार्य करता है और इसका कैम्पस भोपाल, मध्य प्रदेश में है। यह देश के न्यायाधीशोंध्न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अनुसचिवीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने, राज्यध्संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय प्रबंधन तथा प्रशासन से संबंधित मामलों में सम्मेलनों, संगोष्ठियों व्याख्यानों का आयोजन तथा अनुसंधान करने के लिए एक प्रमुख निकाय है।

(2) भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की आम सभाऔर साथ ही साथ शासी परिषद के अध्यक्ष तथा कार्यकारी समिति और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की अकादमी परिषद के अध्यक्ष भी हैं। अकादमी के मामले एक शासी परिषद द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। अकादमी पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित–पोषित है। निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कर्मचारियों में एक निदेशक के अलावा अपर निदेशक (अनुसंधान) का एक पद, प्रोफेसर के 3 पद, सहायक के 6 पद, अनुसंधान फैलो के 6 पद और विधि सहायक के 6 पद शामिल हैं। न्यायिक अकादमी के प्रशासनिक अधिकारियों और स्टाफ में निदेशक के अलावा, रजिस्ट्रार, अतिरिक्त राजिस्ट्रार, मुख्य लेखा अधिकारी, अनुरक्षण अभियंता और दूसरे प्रबंधकीय और प्रकार्यात्मक पद शामिल हैं।

(3) वित्त वर्ष 2016–17 के बजट अनुमानों के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के लिए "सामान्य सहायता अनुदान" (गैर–योजनागत) के अंतर्गत 1074.00 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है

जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 1000.00 लाख रूपए कर दिया गया है। इसमें से राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को तीन किश्तों में 900.00 लाख रुपए की निर्गत की जा चुकी है। इसके अलावा, 1000.00 लाख रुपए का प्रावधान वित्त वर्ष 2016–17 के लिए "पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान" के लिए रखा गया था। जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 400.00 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें से राष्ट्रीय न्यायिक अकादके कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा 20 आवासीय फ्लैटों का निर्माण करने के लिए 88.30 लाख रुपए की धनराशि निर्गत की गई है। जबकि 88.30 लाख रुपए की दूसरी किस्त निर्गत करने की प्रक्रिया जारी है।

## 5. कुटुंब न्यायालय

कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 मैं उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा सुलह को बढ़ावा देने और विवाह और परिवार के मामलों से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए कुटुंब न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 3 (1) (क) के तहत राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर या कस्बे मैं हर क्षेत्र के लिए एक कुटुंब न्यायालय स्थापित करे। यदि राज्य सरकारें आवश्यक समझेतो राज्यों के अन्य क्षेत्रों में भी, कुटुंब न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं।

(2) कुटुंब न्यायालयों की स्थापना के लिए मुख्य उद्देश्य और कारण निम्नांकित हैं:

(i) इस तरह के विशेष न्यायालय बनाना जो विशेष रूप से परिवार के मामलों को देखेंगे ताकि उनके पास ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता हो। इस प्रकार ऐसे न्यायालय स्थापित करने के लिए दो मुख्य कारक विशेषज्ञता और मामलों का शीघ्र निपटान हैं;

(ii) परिवार से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र की स्थापना करना;

(iii) सस्ता उपचार प्रदान करनाय और

(iv) कार्यवाही के संचालन में लचीलापन और एक अनौपचारिक वातावरण।

(3) कुटुंब न्यायालयस्थापित करने के लिए वर्ष 2002–03 में केंद्रीय वित्त सहायता की योजना शुरू की गई थी। योजना के अनुसार केंद्र सरकार कुटुंब न्यायालय भवन और न्यायाधीशों के लिए रिहायशी आवास का निर्माण करने के लिए योजनागत सहायता के रूप में एक–बारगी अनुदान के रूप में 10 लाख रूपए और योजनेत्तर के अंतर्गत आवर्ती लागत के रूप में 5 लाख रूपए की वार्षिक सीमा के अध्यधीन कुल लागत का 50 प्रतिशत मुहैया कराया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2012–13 से इस

प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को 11.50 करोड रूपए का अनुदान निर्मुक्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं की केंद्र प्रायोजित योजना में कुटुंब न्यायालय और रिहायशी परिसर के भवन के निर्माण के लिए अनुदान की व्यवस्था हेतु संघटक को शामिल कर लिया गया है।

(4) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, देश में वर्तमान में 438 कुटुंब न्यायालय कार्य कर रहे हैं कुछ राज्यों ने सूचित किया है। कि और कुटुंब न्यायालय स्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(5) मार्च, 2015 में, अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं की केंद्र प्रायोजित योजना के साथ कुटुंब न्यायालय योजना (प्लान) को समाविष्ट करने का निर्णय लिया गया। कुटुंब न्यायालय (गैर–योजना) योजना जिसके तहत जैसा कि अनुरोध किया गया था, राज्यों को कुल 2296.46 रुपए की राशि दी गई को 2016–17 में बंद कर दिया गया है क्योंकि यह संबंधित राज्य की जिम्मेदारी है ।

## 6. ई–कोर्ट समेकित मिशन मोड परियोजना– कम्यूटरीकरण

ई–कोर्ट समेकित मिशन मोड परियोजना देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सम्पूर्ण कंप्यूटरीकरण के माध्यम से तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की आईसीटी बुनियादी सुविधा को प्रोन्नत करके वादियों, अधिवक्ताओं और न्यायपालिका को अभिनिर्धारित सेवाएँ प्रदान करना है।

### (2) ई–कोर्ट एमएमपी (चरण–I):

वर्ष 2007 में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 441.80 करोड़ रूपए की लागत से दो साल की अवधि में 13,348 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को मंजूरी दी। वर्ष 2010 में, लागत और समय की अधिक खपत को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 935 करोड रुपए के संशोधित बजट और बढ़ी हुई गुंजाइश के साथ मार्च, 2014 तक 14,249 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया (बाद में इसे मार्च, 2015 तक बढ़ा दिया गया)। इसे चरण–I का नाम दिया गया।

31 मार्च, 2015 तक निर्धारित समय–सीमा के भीतर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी और परिवर्तन प्रबंधन की अवस्थापना से संबंधित लगभग 95: कार्य पूरा कर लिया गया है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

| क्र. सं | मॉड्यूल | 31–12–2015 की स्थिति के अनुसार स्थिति | कार्यपूर्ति का % |
|---|---|---|---|
| 1 | वित्त पोषित स्थल | 14249 | 100.00 |
| 2 | स्थल की तैयारी | 14249 | 100.00 |
| 3 | हार्डवेयर अवस्थापना | 13436 | 94.29 |
| 4 | लैन अवस्थापना | 13683 | 96.02 |
| 5 | सॉफ्टवेयर डेप्लोयमेंट | 13672 | 95.95 |

उपर्युक्त के साथ–साथ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की आईसीटी बुनियादी सुविधाओं को भी प्रोन्नत किया गया है। मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार परियोजना के अन्य कार्यकलापों की प्रगति नीचे दी गई है:

I. **न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप:** 14,309 न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप प्रदान किए गए हैं।

II. **सॉफ्टवेयर:** सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में तैनात करने के लिए एक संघटित राष्ट्रीय कोर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर – मामला सूचना प्रणाली (आईसीएस) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। पुराने मामलों के बारे में डाटा एंट्री आरंभ की गई है और 7 करोड़ मामलों के बारे में डाटा ऑनलाइन उपलब्ध है।

II. **न्यायिक सेवा केंद्र:** सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं जो वादियोंध्वकीलों द्वारा याचिकाएँ और आवेदन दायर करने और जारी मामलों के बारे में सूचना तथा आदेशों और निर्णयों की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करते हैं।

III. **परिवर्तन प्रबंधन और प्रशिक्षण:** परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के रूप में 14,000 से अधिक न्यायिक अधिकारियाँ को यूबीयूएनटीयू–लिनक्स ओएस के उपयोग में प्रशिक्षित किया गया है और न्यायालयाँ के 4000 से अधिक कर्मचारियाँ को मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षित किया गया है।

V. **प्रक्रिया री–इंजीनियरिंग:** ई–समिति ने प्रक्रिया री–इंजीनियरिंग प्रक्रिया आरंभ की हैय सभी उच्च न्यायालयों में मौजूदा नियमों, कार्यविधियों, प्रक्रियाओं और रूपों का अध्ययन करने और इनके सरलीकरण के लिए सुझाव देने हेतु प्रक्रिया री–इंजीनियरिंग समितियां स्थापित की गई हैं।

VI. **न्यायालयों और जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा:** प्रायोगिक के अनुभव के आधार पर भारत के उच्चतम की ई–कमेटीके परामर्श से निर्णय लिया गया कि देश भर में 500 न्यायालय परिसरों और उनकी तदनुरूपी जेलोंमें वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की जाए।

VII. **सेवा प्रदायगी और राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी):** राष्ट्रीय ई–कोर्ट पोर्टल (http://www-ecourts-gov-in) का संचालन आरंभ हो गया है और इसे सार्वजनिक एक्सेस के लिए खोल दिया गया है। यह पोर्टल वादियों को मामला पंजीकरण, कारण सूची, मामले की स्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णयों का विवरण जैसी ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करता है। इस समय वादी 7 करोड़ से अधिक लंबित और निर्णीत मामलों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित 3 करोड़ से अधिक आदेशों ध निर्णयों के बारे में मामले की स्थिति संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। एनजेडीजी डाटा न्यायपालिका को न्यायिक निगरानी और प्रबंधन करने तथा सरकार को नीतिगत प्रयोजनों के लिए डाटा प्राप्त करने में सहायक होगा।

### (3) ई–कोर्ट एमएमपी (चरण–II)

सभी न्यायालयों के यूनिवर्सल कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आईसीटी को और आगे बढ़ाने की परिकल्पना करते हुए परियोजना के दूसरे चरण को जुलाई, 2015 में 1670 करोड़ रुपए की लागत से और 4 वर्षों की अवधि के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस परियोजना के संस्वीकृति अगस्त, 2015 में जारी की गई। यह परियोजना भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की तर्ज पर कार्य करेगी।

इस परियोजना का उद्देश्य 7 भिन्न–भिन्न मंचों के माध्यम से वादियों को 30 भिन्न–भिन्न सेवाओं की प्रदायगी करना है।

परियोजना के चरण–प्प में निम्नांकित नई पहल प्रस्तावित है:

I. **चरण–I की तुलना में न्यायालयों में कंप्यूटर बुनियादी सुविधा में वृद्धि करना:** इस बात पर विचार करते हुए कि न्यायालय पंजिका के सभी महत्वपूर्ण अनुभाग दैनिक प्रक्रियाओं और सेवा प्रदायगी के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग करते हैं प्रत्येक न्यायालय में चार से बढ़ाकर आठ कंप्यूटर अवस्थापित किए जा रहे हैं।

II. **नोटिस और सम्मन भेजने की प्रणाली को सुदृढ़ करना:** न्यायालय परिसरों में प्रोसेस सर्वर के लिए प्रमाणीकरण डिवाइस का प्रावधान करके सुदृढ़ किया जा रहा है।

III. **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समितियों को हार्डवेयर प्रदान करना:** जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समितियोंके कार्यालयों के लिएलोक अदालतों के आयोजन, लोक अदालतों में मामलों का सूचीयन, कारण सूची, कार्यवाहियों, आदेशों आदि के लिए न्यायालय प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करना अपेक्षित है।

IV. **राज्य विधिक अकादमियों में कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए हार्डवेयर:** न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय कर्मचारियों केलिए आईसीटी प्रशिक्षण के प्रयासों की निरंतरता बनाए रखने हेतु हार्डवेयर की व्यवस्था करना।

V. **प्रत्येक न्यायालय परिसर में सूचना क्योस्क स्थापित करना:** वादियों को न्यायालय के कर्मचारियों के पास जाए बिना मामले की स्थिति और दैनिक आदेश पत्रों जैसी सेवाएँ प्रदान करना।

VI. **पर्याप्त बुनियादी सुविधा सहित केंद्रीय मिसिलबंदी केन्द्रों का विकास करना:** प्रस्ताव है कि चरण–I में मिसिलबंदी काउंटर के रूप में प्राथमिक रूप से अभिकल्पित न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी) को सेवाओं के संघटक सेट के लिए उपयोग में लाया जाएगा इसमें क्योस्क की अवस्थापना और वादियों के लिए प्रतीक्षालय बनाना शामिल है केंद्रीय मिसिलबंदी केंद्र (सीएफसी) को जेएससी और सीएफसी कहा जाएगा।

VII. **न्यायालय पुस्तकालयों का कंप्यूटरीकरण:** न्यायालय के पुस्तकालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। समेकित पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली उच्चतम न्यायालय में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई है।

VIII. **पॉवर बैक–अप के लिए सौर ऊर्जा:** पर्यावरण हितैषी और आसानी से उपलब्ध सौर ऊर्जा का उपयोग वैकल्पिक स्रोत के रूप में करने के लिए प्रस्ताव है कि कुल न्यायालय परिसरों का 5: आरंभ में कवर किया जाए।

IX. **क्लाउड कम्प्यूटिंग के प्रयोग के माध्यम से सेवा प्रदायगी:** अलग–अलग न्यायालय परिसरों में सर्वर की आवश्यकता से बचने और न्यायालयों के स्वचालन की कुशलता और मापनीयता में सुधार करना। इससे अलग अलग न्यायालय परिसरों में तकनीकी जनशक्ति की तैनातगी करने की आवश्यकता में कमी आएगी।

X. **डाटा के सामयिक तथा नियमित प्रोन्नयन हेतु तंत्र :** सभी न्यायालयों द्वारा एनजेडीजी के डाटा को अद्यतन करने में गति लाने के लिए तथा कनेक्टिविटी में सुधार के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करना।

XI. **मेनुयल रजिस्टरों को समाप्त करना** : मेनुयल रजिस्टरों को समाप्त करके दैनिक कार्यकलापों के लिए आईसीटी के प्रयोग को बढ़ावा देना और न्यायालय के रजिस्टरों को केवल ई–फॉर्म में ही अनुरक्षित करना।

XII. **एसएमएस और मोबाइल एप के माध्यम से मोबाइल आधारित सेवा प्रदायगी** : नवीनतम मामला संबंधी सूचना के लिए विभिन्न मोबाइल मंचों पर मोबाइल फोन एप्लिकेशन तैयार करना और वादियों तथा वकीलों के लिए एसएमएस आधारित पुश और पुल सुविधा को सुकर बनाने के लिए एसएमएस गेट वे आधारित मूलभूत संरचना तैयार करना।

XIII. **न्यायालय रिकॉर्ड कक्ष प्रबंधन स्वचालन** : सुनवाई के समय न्यायालय में स्वतः न्यायालय विशेष से संबन्धित डिजिटलीकृत दस्तावेज / केस रिकॉर्ड सृजित हो जाएंगे।

## (4) चरण–II की उपलब्धियां

- **निर्गत निधियाँ:** न्याय विभाग ने चरण–II के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के लिए 430,05 करोड़ रुपए और एनआईसीको 38,71 करोड़ रुपए जारी किए गए। उच्च न्यायालयों ने कंप्यूटर हार्डवेयर की अभिप्राप्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और एनआईसी ने क्लाउड कम्प्यूटिंग के लिए उपस्कर की अभिप्राप्ति शुरू कर दी है।

- **न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण:** परियोजना के अंतर्गत, उन न्यायालयों के लिए आईसीटी बुनियादी सुविधाएं अपग्रेड की जा रहीं हैं जिन्हें चरण–I में कम्प्यूटरीकृत किया गया है और वे न्यायालय जिन्हें चरण–I में शामिल नहीं किया गया था, उन्हें अब कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। अधिकांश न्यायालयों ने अपने न्यायाधिकार के अंतर्गत न्यायालयों के लिए बुनियादी सुविधाओं की अधिप्राप्ति की कार्रवाई पूरी कर ली गई है।

- **सॉफ्टवेयर का दर्जा बढ़ाना:** मामला सूचना सॉफ्टवेयर (एनसी–2.0) के नए अधिक प्रयुक्ता हितैषी संस्कारण का विकास किया है और सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालय इससे जोड़े जा रहे हैं। सीआईएस 2.0 में आदेश पत्र की वास्तविक समय उपलब्धता का फीचर विद्यमान है। ई–कोर्टों को क्लाउड सक्षम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर को पूर्णतः सुसज्जित किए जाने की आवश्यकता है। सॉफ्टवेयर वर्जन(सीआईएस 2.0) को मामला अद्यतनों, डाटा प्रविष्टि शुद्धता और डाटा पर किए जाने वाले विश्लेषण के लिए अन्य सभी नियमित अद्यतनों, के अलावा सेवा प्रदायगी के सभी मंचों जिन्हें चरण–II में अभिकल्पित किया गया है, को सक्षमता के वृहद पैमाने के साथ अपग्रेड किया गया है।

- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) विकसित किया गया है। 2013 में चुने हुए राज्यों में एक प्रायोगिक कार्यक्रम आरंभ किया गया। चरण–II के अंतर्गत सभी न्यायाधिकारों के लिए इसे उपलब्ध करा दिया गया और सितंबर, 2015 में सार्वजनिक कर दिया गया है। इस समय वादी 7 करोड़ से अधिक लंबित और निर्णीत मामलों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित 3 करोड़ से अधिक आदेशोंधनिर्णयों के बारे में मामले की स्थिति संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वादियों और वकीलों को न्यायालय परिसर में न्यायिक सेवा केंद्र के माध्यम से मामले को दायर करने,आदेशों और निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां, मामले की स्थिति आदि जैसी सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं।

- आरंभ से लेकर तब तक ई ताल के माध्यम से 67 करोड़ से अधिक संव्यवहार अभिलेखित किए गए जो दर्शाता है कि वादी और वकील इस सुविधा का बार–बार प्रयोग कर रहे हैं।

- जनवरी–जून, 2016 के दौरान प्रणाली के माध्यम से स्व–सृजित 63 लाख एसएमएस वादियों और वकीलों को भेजे गए हैं।

- **प्रक्रिया री–इंजिनियरिंगः** न्यायालय प्रक्रियाओं और नियमों को तर्क–संगत बनाने के उद्देश्य से सभी उच्च न्यायालयों द्वारा प्रक्रिया री–इंजीनियरिंग को अपनाया गया है। इस में निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं का मूलभूत पुनराभिकल्पन शामिल है। जून, 2016 में सभी महानिबंधकों और विधि सचिवों की कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें उच्च न्यायालयों ने अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को अभिनिर्धारित किया। उच्च न्यायालयों ने दो महत्वपूर्ण प्रक्रियागत परिवर्तनों और दो सामान्य परिवर्तनों के बारे में मौजूदा नियमों में अपेक्षित संशोधनों के बारे में रिपोर्टें दी हैं। ये रिपोर्टें उच्च न्यायालयों से प्राप्त हो गई हैं। न्याय विभाग ने इन रिपोर्टों का सूचियन पूरा कर लिया है और ई समिति साझा न्यूनतम दिशा–निदेशों को तैयार करने पर कार्य कर रही है।

(5) भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, जो नागरिक केन्द्रित सेवाओं पर जोर देता है, की तर्ज पर, यह परियोजना नागरिकों को मांग पर आधारित शासन और सेवाएँ प्रदान करके और उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक हेतु प्रमुख उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी सुविधाओं पर केन्द्रित होगी।

चालू वित्त वर्ष (2016–17) की अंतिम तिमाही में हाथ लिए जाने वाले कार्यकलाप निम्नांकित हैं:–

| क्र. सं. | संघटक | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | वैन कनेक्टिविटी | एनआईसी द्वारा तैयार न्यायालयों की बैंडविड्थ आवश्यकता के आधार पर, न्यायालयों के लिए कनेक्टिविटी की प्रावधान किया जाना है। |
| 2 | प्रक्रिया सर्वर के लिए प्रमाणन उपकरण | नोटिस और सम्मन जारी करने की प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रमाणन उपकरणों का प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है। ई समिति उपकरणों के लिए विशेषताओं में सुधार कर रही है। |
| 3 | सौर ऊर्जा | सौर ऊर्जा का उपयोग वैकल्पिक स्रोत के रूप में किए जाने के लिए प्रस्ताव है की आरंभ में कुल न्यायालय परिसरों का 5: कवर किया जाए जिसमें से चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रति न्यायालय परिसर पर 51 लाख रुपए की अनुमोदित लागत पर 51 न्यायालय परिसरों को शामिल किया जाना है। |
| 4 | वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग | न्यायालय और कारागारों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान ई–कोर्ट एमएमपी के चरण–प्प के अधीन किया जाना है। |
| 5 | प्रचार | 12 जुलाई, 2016 को आयोजित ई–समिति की बैठक में यह ज्ञात हुआ कि वादियों में ई–कोर्ट परियोजना के बारे में बहुत कम जानकारी है। जानकारी बढ़ाने के लिए इस परियोजना का प्रचार किए जाने का प्रस्ताव है। डीएवीपी से संपर्क किया गया है। |
| 6 | सॉफ्टवेयर डेवलेपमेंट सेंटर, पुणे | सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक सतत कार्यकलाप है। एनआईसी, पुणे में सोफ्त्नेयर डेवलपमेंट टीम सॉफ्टवेयर को विकसित करने और दर्जा बढ़ाने पर कार्य कर रही है। |
| 7 | परिवर्तन प्रबंधन, आईआईएम प्रशिक्षण | परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के सभी केंद्रीय परियोजना समन्वयकों को प्रशिक्षित किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए न्याय विभाग ने इन सत्रों के लिए आयायन और शीर्ष संस्थानों से संपर्क किया है। |

## 7. न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन

न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन अगस्त, 2011 में प्रणाली में देरी और बकाया को कम करने और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने के द्वारा उपयोग में वृद्धि के दोहरे उद्देश्य के साथ निष्पादन और क्षमताओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया था। मिशन, अधीनस्थ न्यायपालिका में बकाया और लंबन के चरणबद्ध परिसमापन के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाए हुए है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ न्यायालयों के लिए कम्प्यूटरीकरण सहित बेहतर बुनियादी ढांचा, अधीनस्थ न्यायपालिका के संख्या बल को बढाना, अत्यधिक मुकदमेबाजी के लिए प्रवण क्षेत्रों में, नीति और विधायी उपाय करना, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की री–इंजीनियरिंग और मानव संसाधन विकास पर जोर शामिल है। मिशन ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक कार्य नैतिक क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं।

(2) न्यायालयों में लंबित बढ़ी संख्या में से निपटने के लिए न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या की कमी सामान्य रुप से विलंब का मुख्य कारण माना जाता है। न्यायाधीशों की कमी से दो पक्षीय कार्य नीति के माध्यम से निपटा जा रहा है। पहली, न्यायपालिका में विद्यमान बढ़ी संख्या में रिक्त पदों को भरना और दूसरी न्यायाधीशों की संस्वीकृत संख्या को बढ़ाना है। यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि संवैधानिक ढांचे के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों का उत्तरदायित्व है। सभी पणधारकों द्वारा किए गए सतत प्रयासों के कारण विगत कुछ वर्षों में अधीनस्थ न्यायपालिका के संस्वीकृत संख्याबल में लगातार वृद्धि हुई है। यह 2012 के अंत में 17,715 से बढ़कर जून, 2016 में 21,320 हो गई है। उच्च न्यायालयों के मामले में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने उच्च न्यायालयों की संस्वीकृत संख्याबल को 25ः तक बढ़ाने के लिए अप्रैल, 2013 आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन की संयुक्त सिफारिश को अप्रैल, 2014 में सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की अनेक राज्यों ने इस प्रस्ताव को पहले ही स्वीकार कर लिया है जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालयों का संस्वीकृत संख्याबल मार्च, 2014 में 906 न्यायाधीशों से बढ़कर दिसंबर, 2016 में 1079 न्यायाधीश हो गया। सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के संस्वीकृत संख्याबल को ध्यान में रखते हुए देश में न्यायाधीश–जनसंख्या अनुपात अब 10 लाख जनसंख्या पर 18 न्यायाधीश हैं।

(3) तथापि, देखा गया है कि संस्वीकृत संख्याबल में सतत वृद्धि के बावजूद अधीनस्थ न्यायालयों में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। 30 जून, 2016 की स्थिति के अनुसार,न्यायिक अधिकारियों के 4937 पद रिक्त थे जो संस्वीकृत संख्याबल का लगभग 23ः है। 22 और 23 अप्रैल, 2016 आयोजित मुख्य

न्यायाधीशों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ–साथ निश्चय किया गया कि मुख्य न्यायाधीश राज्य सरकारों के समन्वयन से अपने राज्यों की आवश्यकताओ के अनुरूप और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन में जिला न्यायपालिका के संवर्ग संख्याबल में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठाएंगे।

(4) अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है।तथापि राज्य सरकारों के संसाधनों को बढाने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना 1993–94 से चलाई जा रही है। इस योजना के आरंभ से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों को 5479 करोड़ रुपए की धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान की है जिसमें से 2034 करोड़ रुपए की राशि 2014–15 से प्रदान की गई है। इस योजना में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों ६ न्यायिक अधिकारियों के लिए रिहायशी मकान और न्यायालय भवनों का निर्माण शामिल है। अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधा का विकास राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन का प्रमुख प्रभाव क्षेत्र है। तदनुसार वर्ष 2011–12 से संशोधित योजना के अंतर्गत योजना के वित्तीय पेटर्न में 50:50 से संशोधित करके 75:25 (उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के मामले में 90:10) कर दिया गया। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्यों को निधियोंके बढ़े हुए हस्तांतरण से वर्ष 2015–16 से योजना के लिए फंड बटवारे का पैटर्न अब 75:25 से संशोधित करके 60:40 (केंद्र रू राज्य) और (8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) कर दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निधियों के बटवारे की कोई आवश्यकता नहीं है। 2011–12 से मिशन मोड में योजना के कार्यान्वयन से योजना के अंतर्गत गत पाँच वर्षों में संशोधित वित्त पोषण पेटर्न के अंतर्गत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 4233 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। यह 1245 करोड़ रुपए की राशि जो केंद्र सरकार द्वारा योजना के आरंभिक चरण में 1993–94 से 2010–11 तक प्रदान की गई थी, से बहुत अधिक है।

(5) 31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालयों से संकलित सूचना के अनुसार देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 2447 न्यायालय हॉल ६ न्यायालय कक्ष उपलब्ध थे। दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों द्वारा सूचित किए गए न्यायाधीशों / न्यायिक अधिकारियों के 16070 कार्यरत संख्याबल से इन आंकड़ों की तुलना करते हुए न्यायिक जनशक्ति की वर्तमान संख्या के लिए पर्याप्त न्यायालय हॉल / न्यायालय कक्ष उपलब्ध हैं। अब ध्यान इस बात केन्द्रित है कि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों / न्यायाधीशों के संस्वीकृत संख्याबल के लिए न्यायालय हॉल / न्यायालय कक्ष की उपलब्धता बराबर हो जाए। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकरियों के लिए आवासीय इकाइयों की उपलब्धता

के बारे में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 14420 आवासीय इकाइयां उपलब्ध थी और 1868 आवासीय इकाइयां निर्णाणाधीन थीं।

(6) नई दिल्ली में अप्रैल, 2015 में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के दौरान न्यायालयों में लंबित मामलों में कमी करने और बकाया को कम करने पर का मामला एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभरा जिस पर उच्च न्यायालय स्तर पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता थी। 3 और 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में सकल्प किया गया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक बकाया समिति गठित करेगा जो बिलंब के जिम्मेदार कारकों का अध्ययन करेगी और पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के बकाया को समाप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। अप्रैल, 2016 में आयोजित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में संकल्प किया गया कि महिलाओं, उपेक्षित वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और भिन्न रूप से सक्षम वायक्तियों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएँ ताकि (क) इन श्रेणियों से संबंधित मामलों को मौजूदा न्यायालय प्रणाली के भीतर निपटाने को प्राथमिकता दी जाए और (ख) प्रयास किया जाए कि अधीनस्थ न्यायालयों के संवर्ग संख्याबल का मूल्यांकन किया जाए और ऐसे मामलों से निपटने के लिए, जहां आवश्यक हो, अतिरिक्त न्यायालय बनाए जाएँ। अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की बढ़ती प्रवृति को रोकने के लिए विभिन्न पदधारकों द्वारा प्रयास किए गए हैं और अधीनस्थ न्यायालयों में समग्र लंबन 2010 में 2.77 करोड़ से घटकर 2015 में 2.70 करोड़ हो गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय में मुकदमों का लंबन 2012 के अंत में 66692 से घटकर वर्ष 2015 के अंत में 59272 हो गया है। उच्च न्यायालयों में मुकदमों का लंबन वर्ष 2010 के अंत में 42.49 लाख से घटकर 31–12–2015 को 38.70 लाख मामले रह गया है।

(7) न्यायिक सुधारों संबंधी कार्य अनुसंधान और अध्ययन के लिए योजना स्कीम को अन्य बातों के साथ–साथ न्यायिक सुधारों के बारे में कार्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक आईआईटी, आईआईएम, राज्य न्यायिक अकादमियों, राष्ट्रीय विधि विद्यालयों, विश्व विद्यालयों आदि जैसे प्रख्यात संस्थानों की कार्य अनुसंधान की 18 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(8) मिशन द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में प्रगति की समीक्षा के लिए विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली में 16 फरवरी, 2016 राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधि सुधार मिशन की सलाहकार परिषद की 9वीं बैठक आयोजित की गई। सलाहकार परिषद ने अन्य बातों के साथ साथ न्यायालयों की विशेषज्ञता, न्यायिक उत्तरदायित्व और वाद पूर्व विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मिशन द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में प्रगति की

समीक्षा के लिए विधि और न्याय और इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली में 18 अक्टूबर, 2016 राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधि सुधार मिशन की सलाहकार परिषद की 10वीं बैठक आयोजित की गई। सलाहकार परिषद ने अन्य बातों के साथ साथ आपराधिक न्याय प्रणाली, अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए जनशक्ति की आयोजना, न्यायालय प्रक्रियाओं को सुचारु बनाना, नीति निर्माण के लिए न्यायिक डाटा बेस आदि से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया।

## 8. उपेक्षितों के लिए न्याय तक पहुँच (यूएनडीपी)

परियोजना अवधिः जनवरी, 2013–दिसंबर, 2017

परियोजना राज्यः बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।

### पृष्ठभूमिः

न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से 'उपेक्षितों के लिए न्याय तक पहुँच' परियोजना का संचालन कर रहा है। परियोजना, विधिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में न्याय तक पहुँचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने संबंधीकार्यनीतियों का विकास करके गरीबों के लिए न्याय तक पहुँच सबल करने पर केन्द्रित है।

इस परियोजना के अंतर्गत सहायता उपेक्षितों विशेष रूप से गरीबों, महिलाओं, अनुसूचित जतियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए न्याय तक पहुँच सुदृण करने पर केन्द्रित है। यह परियोजना एक ओर गरीबों और वंचितों की कारगत ढंग से सेवा करने के लिए मुख्य न्याय सेवा प्रदाताओं की संस्थागत क्षमताओं में सुधार करने पर केन्द्रित है। दूसरी ओर यह गरीब और उपेक्षित पुरुषों और महिलाओं को न्यायिक सेवाओं की मांग करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने हेतु प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है।

परियोजना का प्रथम चरण 2009 और 2012 के बीच आरंभ किया गया। इस चरण के दौरान परियोजना में 20 लाख लोगों तक पहुंचा गया, 7000 अर्ध विधिक स्वयंसेवियों और युवा वकीलों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, सरलीकृत सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण सामाग्री तैयार की गई। चालू चरण,चरण–II मई 2013 से दिसंबर, 2017 के बीच पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। विभाग 8 पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर में इसी प्रकार की परियोजना पाँच वर्षों अर्थात 2012–2017 तक की अवधि के लिए कार्यान्वित कर रहा है।

### परियोजना फोकसः

(i) उपेक्षित लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए न्याय तक पहुँच सुदृढ़ करना।

(ii) गरीबों और वंचितों को प्रभावी सेवा प्रदान करने में समर्थ बनाने हेतु प्रमुख न्यायिक सेवा प्रदाताओं की संस्थागत क्षमताओं में सुधार करना।

(iii) गरीबों और वंचित पुरुषों और महिलाओं को न्यायिक सेवाओं की मांग करने और उन्हें प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाना।

**परियोजना कार्यकलापः**

विधिक साक्षरता को मुख्यधारा का अंग बनाना रूउपेक्षित वर्गों में विधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए नोडल मंत्रालयों और फ्लैगशिप कार्यक्रमों का समावेशन।

**(1) राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), उत्तर प्रदेश– बाराबंकी जिले में विधिक साक्षरता अभियानः**

- पुस्तिका, इश्तेहार, लघु फिल्म, गली नाटक इत्यादि के रूप में विधिक साक्षरता सामग्री तैयार करना।
- विधिक साक्षारता अभियान के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला की शुरुआत। बाराबंकी जिले में अभियान की शुरुआत।
- विधिक साक्षरता अभियान के कार्यकलापों को ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग एप्लिकेशन भी विकसित किया गया है।
- परियोजना के तहत 500 ग्राम स्तर के संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया और यह अभियान 779 ग्राम पंचायतों तक पहुँचा।

**(2) एनएलएमए का साक्षर भारत** – न्याय विभाग और एनएलएमए ने साक्षर भारत कार्यक्रम के जरिए विधिक साक्षरता को मुख्यधारा में लाने के लिए समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- एसआरसी लखनऊ और जयपुररू उत्तर प्रदेश के 62 जिले और राजस्थान के 32 जिलों के 200 संसाधन व्यक्तियों (आरपी) और 600 प्रेरकों को दो प्रशिक्षण दिया जाना है।
- एसआरसी लखनऊ ने 160 आरपी और 309 प्रेरक का दो प्रशिक्षण पूरा किया।
- एसआरसी जयपुररू 130 आरपी का एक प्रशिक्षण पूरा किया।
- दिनांक 26 जून, 2016 को जयपुर में विधिक साक्षरता पर एक दिवसीय क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया गया।

### (3) सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) ई–गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड

- झारखंड के 3 जिलों में 50 ग्राम स्तर के उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया। सामान्य सेवा केन्द्रों में विधिक साक्षरता सामग्री को विकसित कर मुख्य धारा में लाया गया।
- राजस्थान के 11 जिलों के 500 सामान्य सेवा केन्द्रों के 500 ग्राम स्तर के उद्यमियों को भी प्रशिक्षित किया गया।

## सिविल सोसायटी संगठनों की पहल

### (1) वन वर्ल्ड फाउंडेशन

- छत्तीसगढ़ और झारखंड में जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों में 50 आवाज आधारित विधिक सूचना क्योस्क (वीएलईके) स्थापित किए।
- विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकारों और पात्रताओं, पात्रता मानदंडों और आवेदन प्रक्रियाओं के बारे में विधिक सूचना के लिए विधिक संसाधन सामग्री शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए संथाली, छतीसगढ़ी, हिन्दी और अंग्रेजी नामक चार भाषाओं में विधिक संसाधन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए क्योस्क स्थापित किए।
- अप्रैल 2015 तक 100000 लोगों ने किआस्क पर उपलब्ध विधिक सूचनाएं प्राप्त की।
- क्योसकों का अधिग्रहण नालसा और राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों ने कर लिया।
- क्योस्क का रखरखाव अक्टूबर, 2016 तक परियोजना निधि से पूरा किया जा रहा है।

### (2) अंतोदयः कालाहांडी, ओडिशा के 3 ब्लॉकों में वन भूमि पर उपेक्षित समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करना

- पहल का मुख्य उद्देश्य विशेषतः लोगों के जैव–विविधता रजिस्टर तैयार करके और समुदाय की विधिक जागरूकता को बढ़ाकर उपेक्षित समुदायों में अपने वन भूमि और संसाधनों संबंधी अधिकारों की पहचान करने और इन अधिकारों तक उनकी पहुँच बनाने में सहायता करना है।
- 120 समुदाय अधिकार स्वयंसेवियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- लक्ष्य क्षेत्र जिला कालाहांडी, ओडिशा के 3 ब्लॉक

### (3) भारत ज्ञान–विज्ञान समिति

- मध्य प्रदेश के सेहोर जिले के पाँच ब्लॉकों की 55 पंचायतों में विधिक जागरूकता अभियान, विधिक ज्ञान के माध्यम से महिला सशक्तीकरण और स्थायी सहायता समूहों का गठन।

### (4) एड इंडिया: पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों की 190 पंचायतों में "झारखंड में उपेक्षितों के लिए समावेशी और पुनर्वितरक न्याय हेतु मार्ग" (मार्च 2014 – मार्च 2016)

- उद्देश्य यह है कि उपेक्षितों की न्याय तक सार्वभौमिक पहुँच के लिए विकेंद्रीकृत और समावेशी न्याय और कल्याण पात्रता प्रदायगी प्रणाली और सेवाएं सुदृढ़ हो।
- 10 सामान्य सेवा केन्द्रों का उपयोग न्याय सरलीकरण केंद्र के रूप में किया जा रहा है।
- न्याय तक पहुँच को बढ़ाने के लिए जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों के साथ सहभागिता को मजबूत बनाना।
- सामुदायिक रेडियो द्वारा विधिक जागरूकता।
- लक्ष्य क्षेत्र : पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों की 190 पंचायतें।

## विधि स्कूल आधारित विधिक सहायता क्लीनिक

### (1) टीआईएसएस विधिक सेवाएँ क्लीनिक (मार्च, 2014–मार्च, (2017)

- टीआईएसएस कैंपस, मुंबई में विश्वविद्यालय आधारित एक विधिक सहायता केंद्र की स्थापना की गई और टीआईएसएस के पास गंदी बस्ती में समुदाय आधारित क्लीनिक की स्थापना की गई,जिसे एम वार्ड कहते है ।
- पिछले 6 महीनों में निम्नलिखित प्रगति हुई है:
  - क्लीनिक ने संपत्ति, भूमि मामले, वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, शारीरिक शोषण, जमानत,विचारण और आपराधिक शिकायतों से संबन्धित कुल 70 मामलों का निपटान किया।
  - विधिक जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम– 39 आंगनवाणी सेविकाओंको प्रशिक्षित किया गया। प्रत्येक सेविका लगभग 200 घरों तक पहुँचती है। परिणामतः, समुदाय में एलएससी का दायरा बढ़ गया है।

- ❍ टीआईएसएस एलएससी और समुदाय एलएससी अप्रत्यक्ष रूप से एम वार्ड के 15,400 परिवारों तक पहुँच रहे हैं।
- ❍ जुलाई में मुंबई के विधि कॉलेजों में क्लीनिकल विधिक शिक्षा पर 2016 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

परियोजना अवधि मार्च, 2017 तक है।

### (2) एनएलयूओ विधिक सेवा क्लीनिक (मार्च, 2014 – 2017)

- पुरी, कुर्दा और कटक में विधिक सहायता क्लीनिक और एक कैंपस आधारित क्लीनिक की स्थापना की गई।
- पिछले महीने में परियोजना में प्रगतिरू
  - ❍ विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया और उपेक्षित समुदायों से संबन्धित लगभग 200 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।
  - ❍ उपेक्षित समुदायों से लगभग 50 लोगों को परामर्श दिया गया और विधिक सहायता में वृद्धि की गई।
  - ❍ लाभार्थियों 20 के लिए न्यायालय से बाहर विवाद समधान की सुविधा प्रदान की गई।
  - ❍ अधिवक्ताओं के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां उपेक्षित समुदाय से संबंधित 37 युवा अधिवक्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।

परियोजना अवधि मार्च, 2017 तक है।

**(3) किशोर न्याय के लिए टीआईएसएस सामाजिक विधिक सेलः** महाराष्ट्र में सुधार गृह में किशोरों के लिए सामाजिक विधिक प्रकोष्ठ की स्थापना।

- परियोजना वर्ष 2014 से टीआईएसएस सामाजिक विधिक प्रकोष्ठ का समर्थन कर रहा है।
- सामाजिक विधिक प्रकोष्ठ किशोरों को कानून के विरुद्ध संघर्ष में समर्थन प्रदान करता है और किशोर न्याय बोर्ड की सहायता भी करता है।
- दिनांक 26 जुलाई, 2016 को मुंबई में एसएलएसए और डबल्यूसीडी के बीच सहयोग और अवसरों को बढ़ाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

परियोजना नवंबर, 2016 में पूर्ण हुई। अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

## विधिक जागरूकता

### पोक्सो पर दो लघु फिल्म:

- अगस्त, 2016 में एनएफडीसी के साथ समझौता समाप्त कर दिया गया।
- नई एजेंसी चुनने का कार्य प्रक्रियाधीन है और आरएफपी द्वारा चयनित की जाएंगी।
- निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन कर लिया गया है।
- 30 दिसंबर, 2016 तक वित्तीय निविदाएँ खोली जाएंगी।

आउटपुट 4 के अंतर्गत अनुसंधान कार्य:

- विधि और विकास सहभागियों द्वारा "न्यायालय परिसर को महिलाओं के अधिक अनुकूल बनाने" पर अनुसंधान कार्य किया गया। मसौदा रिपोर्ट मई 2015 में न्याय विभाग में जमा की जा चुकी है।
  - ❍ जून, 2015 में रिपोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साझा की गई।प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।
  - ❍ एक बार रिपोर्ट स्वीकार होने पर आवश्यक नीति परिवर्तन करने के लिए निष्कर्ष और सिफारिशों को अन्य उच्च न्यायालयों और संबंधित सरकारी विभागों के साथ साझा किया जा सकता है।

## 9. न्याय तक पहुँच, पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर
(भारत सरकार की परियोजना)

| | | |
|---|---|---|
| परियोजनाध्योजना का नाम | : | "न्याय तक पहुँच दृपूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर" |
| प्रायोजक एजेंसी का नाम | : | न्याय विभाग |
| परियोजना की अवधि | : | अप्रैल, 2012– मार्च, 2017 |
| परियोजना की कुल लागत | : | 30 करोड़ रुपए |

### "न्याय तक पहुँच–पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर" परियोजना के तहत पहल

(1) **नागालैंड के दो सबसे पिछड़े जिले–तुएनसांग और मोन में 46 विधिक सहायता क्लीनिकों की स्थापना:** नागालैंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सफलतापूर्वक परियोजना को पूरा कर लिया है जहां नागालैंड के सबसे आंतरिक और दूरदराज के दो जिलों तुएनसांग और मोन में 46 विधिक सहायताक्लीनिकों की स्थापना की गई है। इस परियोजना ने दोनों जिलों के 18,323

लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाया है। इस परियोजना की विशेषता नालसा द्वारा दूर–दराज के जिलों में विधिक सहायता क्लीनिक के स्थायी मॉडल की स्थापना करना है।

(2) **राज्य संसाधन केंद्र जे–के, द्वारा विधिक साक्षरता कार्यकलापः** दिनांक 14 जनवरी, 2016 को एनएलएमए के साक्षर भारत मिशन पाठ्यक्रम में विधिक साक्षरता घटक को मुख्य धारा में लाने के लिए न्याय विभाग और एसआरसी श्रीनगर के बीच संगम–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्य क्रियाकलापों में जम्मू और कश्मीर के स्थानीय संदर्भ में आईईसी (सूचना, शिक्षा, संचार) सामाग्री को विकसित करने के लिए समीक्षा कार्यशाला, एनएलएमए द्वारा चयनित संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण, प्रेरकों का प्रशिक्षण, संसाधन व्यक्तियों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण, प्रेरकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण शामिल है। इन सम्मिलन क्रियाकलापों के पश्चात जे–के के सभी पिछड़े जिलों में भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत विधिक साक्षरता घटक पढ़ाये जाएंगे।

(3) **राज्य संसाधन केंद्र, असम द्वारा विधिक साक्षारता कार्यकलापः** असम, सिक्किम और त्रिपुरा में विधिक साक्षरता क्रियाकलापों (आईईसी सामग्री तैयार करना, आरपीध्एमवाईध्प्रेरक का प्रशिक्षण) की शुरुआत करने के लिए दिनांक 21 जनवरी, 2016 को न्याय विभाग और एसआरसी असम के बीच संगम–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आज की तारीख तक एसआरसी ने आईईसी सामग्री (11 बुकलेट, 11 पैम्फलेट और पोस्टर) तैयार कर लिए हैं। विधिक साक्षरता पर आईईसी सामग्री तैयार करने के पश्चात 11 महत्वपूर्ण विधियों और पात्रताओंके बारे में 30 संसाधन व्यक्तियों और 300 प्रेरकों को प्रशिक्षित किया गया।

(4) **राज्य संसाधन केंद्र, शिलांग द्वारा विधिक साक्षरता कार्यकलापः** उत्तर–पूर्वी राज्यों (मेघालय, नागालैंड और मणिपुर) में उपेक्षित समुदाय के सशक्तिकरण के लिए विधिक साक्षरता कार्यकलाप (आईईसी सामाग्री तैयार करना, आरपीध्एमवाईध्प्रेरक का प्रशिक्षण) की पहल के लिए न्याय विभाग और एसआरसी शिलांग के बीच दिनांक 21 जनवरी, 2016 को संगम– ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 11 महत्वपूर्ण विधियों और पात्रताओंके बारे में 23 संसाधन व्यक्तियों और 249 प्रेरकों को प्रशिक्षित किया गया।

(5) **राज्य संसाधन केंद्र, अरुणाचल प्रदेश द्वारा विधिक साक्षरता कार्यकलापः** अरुणाचल प्रदेश राज्य में विधिक साक्षरता कार्यकलाप (आईईसी सामग्री तैयार करना, आरपीध्एमवाईध्प्रेरक का प्रशिक्षण) शुरू करने के लिए न्याय विभाग और एसआरसी अरुणाचल प्रदेश के बीच दिनांक 29 फरवरी, 2016 को संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में 11 महत्वपूर्ण विधियों और पात्रताओंके बारे में 27 संसाधन व्यक्तियों और 115 प्रेरकों को प्रशिक्षित किया गया।

(6) **उत्तर–पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर में सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) द्वारा विधिक साक्षरता कार्यकलापः** दिनांक 3 मार्च, 2016 को न्याय विभाग ने असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा सहित 5 उत्तर पूर्वी राज्यों में सामान्य सेवा केन्द्रों के साथ संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कार्यक्रम विधिक मामलों पर नागरिकों को प्रशिक्षण देने और उपेक्षित वर्गों के लिए विधिक साक्षरता कार्यशाला के आयोजन पर केन्द्रित है। यह ग्राम स्तर उद्यमियों (वीएलई) के लिए मास्टर प्रशिक्षण का आयोजन करेगा जो विधिक साक्षरता सत्रों का आयोजन करेंगे और उत्तर पूर्वी राज्यों के विभिन्न जिलों में सामान्य सेवा केन्द्रों द्वारा लोगों को न्याय प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेंगे। इसी क्रम में मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम के साथ साथ जम्मू और कश्मीर के दूर दराज के क्षेत्रों में विधिक साक्षरता कार्यकलापों के लिए न्याय विभाग और सामान्य सेवा केंद्र के बीच दिनांक 23 मार्च, 2016 को एक अन्य संगम–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अब तक उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए आधारभूत सर्वेक्षण कर लिया गया है और आईईसी सामग्री (विभिन्न सामाजिक विधिक मामलों पर फिल्म, विधिक साक्षरता पर हैंडबुक और ई–पाठ्यक्रम) तैयारी प्रक्रियाधीन है। परियोजना से उत्तरपूर्वी राज्यों के 1,61,320 लोगों को लाभान्वित होने की आशा है।

(7) **नौ परियोजना राज्यों में परियोजना दल की नियुक्ति के माध्यम से एसएलएसए को मानव संसाधन का प्रतिपादनः** दो पेशेवरों (परियोजना समन्वयक और परियोजना सहायक) के दल को सभी 9 परियोजित राज्यों में राज्यों के स्तर पर न्याय तक पहुँच (पूर्वोत्तर और जम्मू–कश्मीर) परियोजना की गतिविधियों का समन्वय करने और विधिक सेवा प्राधिकरण का समर्थन करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। इस वर्ष मेघालय (पीसी–पीए नियुक्त) और मणिपुर (केवल पीसी नियुक्त) में परियोजना समन्वयक और परियोजना सहायक के रिक्त पदों के लिए 3 और लोगों की नियुक्ति की गई है। जम्मू–कश्मीर (पीसी और पीए)और मिजोरम (केवल पीसी) को छोड़करसभी राज्यों में भर्तियों को पूरा किया जा चुका है।

(8) **जम्मू–कश्मीर में अनाथ बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने और अनाथालयों को नियंत्रित करने संबंधी नीति का रूपरेखा मसौदा तैयार करनाः** फोर्ड नामक संगठन को जम्मू–कश्मीर मेंअनाथ बच्चों और अनाथालयों के अधिकारों पर अध्ययन करने के लिए चयनित किया गया था। अध्ययन कर लिया गया है और जम्मू और कश्मीर में अनाथ बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और अनाथालयों के संचालन के लिए एक नीतिगत ढांचे का मसौदा तैयार कर समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(9) **विधिक साक्षरता घटकों पर असम, सिक्किम और त्रिपुरा के अन्य स्थानीय बोलियों में आईईसी सामग्री की समीक्षा और मुद्रणः** असम, त्रिपुरा और सिक्किम के विभिन्न स्थानीय बोलियों में विधिक साक्षरता पर आईईसी सामग्री की समीक्षा और मुद्रण के लिए न्याय विभाग और

एसआरसी, असम के बीच संगम–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। स्थानीय बोलियों में असम राज्य की बोडो, कार्बी, राभा भाषाएंय सिक्किम राज्य की भूटिया, लिप्का, लिम्बू और त्रिपुरा राज्य की कोकबोरोक भाषाएँ शामिल हैं। यह आईईसी सामग्री इन भाषाओं को बोलने वाले अनुसूचित जनजाति और स्थानीय लोगों को लाभान्वित करेंगी और विधिक साक्षरता प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करेगी।

(10) **"उत्तर–पूर्वी राज्यों में मानव तस्करी से मुक्त कराए गए लोगों के अधिकारों** : न्याय तंत्र तक पहुँचने में कठिनाइयों और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पैनल अधिवक्ता और सिविल सोसाइटी संगठनों की भूमिका" के बारे में राज्य सम्मेलनरू दिनांक 29 जुलाई, 2016 को "उत्तर–पूर्वी राज्यों में मानव तस्करी से मुक्त कराए गए लोगों के अधिकारों रू न्याय तंत्र तक पहुँचने में कठिनाइयों और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पैनल अधिवक्ता और सिविल सोसाइटी संगठनों की भूमिका" के बारे में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में कुल 35 लोगों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में न्याय विभाग, समाज कल्याण विभाग, असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) के प्रतिनिधि, राज्य पुलिस अधिकारी इत्यादि शामिल थे। यह निष्कर्ष निकला कि विभिन्न एजेंसियां मानव तस्करी मामलों के विरुद्ध कार्य कर रही हैं और इससे कार्य के दोहरीकरण की आशंका है। यह सिफारिश की गई कि समाज कल्याण विभाग एकल स्थानिक समाधान करने की जिम्मेदारी ले जहां विभिन्न हितधारकों का सम्मिलन संभव हो सके।

(11) **"उत्तर–पूर्वी भारत में सामुदायिक संरक्षणः** लाभ, कठिनाइयाँ और अच्छे संरक्षण के लिए कार्य योजना" के बारे में राज्य सम्मेलनरू दिनांक 31 जुलाई, 2016 को "उत्तर–पूर्वी भारत में सामुदायिक संरक्षणरू लाभ, कठिनाइयाँ और अच्छे संरक्षण के लिए कार्य योजना" के बारे में शिलांग में एक अन्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें न्याय विभाग, विधि विभाग, एनईएचयू, उत्तर–पूर्व पुलिस अकादमी (एनईपीए), समाज कल्याण विभाग, उत्तर–पूर्व राज्यों के राज्य पुलिस अधिकारी, राज्य संसाधन केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र और सिविल सोसाइटी संगठन के कुल 23 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का परिणाम प्राथमिक हितधारकों के सामुदायिक संरक्षण को सरकारी संस्थानों में बेहतर पहुँच प्राप्त करने के लिए कार्यनीति के रूप में स्वीकार करने पर आम सहमति थी। अंत में, एनईपीए पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में सामुदायिक संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र खंड समर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उत्तर–पूर्वी राज्यों में पहले से कार्यरत सामुदायिक संरक्षण मॉडल को अभिलेखित करने की आवश्यकता महसूस की गई।

(12) **उत्तर–पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जनजाति सहित उपेक्षित वर्गों के अधिकारों पर राज्य सम्मेलनः** अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों के विधिक अधिकारों के

संरक्षण में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और आयोगों की भूमिका दृ न्याय तक पहुँचदृपूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर",न्याय विभाग द्वारा मणिपुर के इम्फाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। माननीय न्यायमूर्ति श्री एनकोटेस्वर सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष, मणिपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने आयोजन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में कुल41 लोगों ने भाग लियाय जिसमें विभिन्न संबन्धित विभागों और आयोगों जैसे विधि और न्याय विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जनजातीय कार्य और पर्वत विभाग, राज्य महिला आयोग इत्यादि के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें सरकारी विधि कॉलेज, राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और पूर्वोत्तर राज्यों के सिविल सोसाइटी संगठनोंके विद्वान शामिल थे।

### (13) आगामी कार्यक्रम

**(i) विधिक साक्षरता पर साक्षर भारत मिशन के संसाधन व्यक्तियों और प्रेरकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण।**

**(ii) सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड द्वारा विधिक साक्षरता पहलों पर असमी, बंगला, अंग्रेजी, गारो, खासी, मिजो, मणिपुरी, नेपाली, उर्दू में आईईसी सामग्री का मुद्रण।**

**(iii) विधिक साक्षरता पर सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड के 1400 मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।**

**(iv) विधिक साक्षरता पहलों पर सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड द्वारा विधिक साक्षरता परियोजना प्रभावी मूल्यांकन।**

**(v) राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा अंग्रेजी, असमी, नेपाली, बंगला, गारो, खासी, और मणिपुरी, बोडो कार्बी, राभा, भूटिया, लिप्का, लिम्बू और कोकबोरोक भाषा में आईईसी सामग्री का मुद्रण।**

## 10. विभाग की विविध गतिविधियां

### (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत न्याय विभाग ने निम्नांकित कार्य शुरू कर दिए हैं:

(क) विभाग के एक अनुभाग अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आरटीआई आवेदनों को प्राप्त करने और संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारीध्लोक

प्राधिकारी को आवेदन पत्र हस्तांतरित करने और आरटीआई आवेदनोंध्अपीलों की प्राप्ति और निपटान के बारे में केंद्रीय सूचना आयोग को त्रैमासिक रिटर्न जमा करने के लिए केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के तहत अपेक्षित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा देखे जा रहे विषयों के साथ–साथ विभाग के कार्यों का विवरण आदि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (ीजजचरूध्ध्कवर.हवअ.पद) के आरटीआई पोर्टल पर रखा गया है।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के तहत सभी अवर सचिवों को उनके द्वारा देखे जा रहे विषय के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किया गया है।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के संदर्भ में, सभी निदेशकध उप सचिव स्तर के अधिकारियों को सीपीआईओ के रूप में पदनामित अपने अधीनस्थ अवर सचिवों के मामले में अपीलीय प्राधिकारीपदनामित किया गया है।

(ङ) वर्ष 2016 (01–01–2016 से 31–12–2016) के दौरान विभाग में दस्ती रूप में प्राप्त 600 आरटीआई आवेदनों और अपीलों और ऑनलाइन प्राप्त हुए 2056 आरटीआई आवेदनों और अपीलों को, अनुरोधित सूचना प्रदान करने के लिए संबन्धित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियोंध्लोक प्राधिकारियों को अग्रेषित कर दिया गया।

(च) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15–04–2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1ध्5ध्2011–आईआर द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार विभाग, सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों के उत्तरों को नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

## (2) शिकायत निवारण

न्याय विभाग भारत सरकार 20 शीर्ष मंत्रालयों / विभागों में से एक है जहां तक उसे प्राप्त शिकायतों की संख्या को निपटाने का संबंध है। इस विभाग को प्रसाशनिक सुधार और लीक शिकायत विभाग के पीजी पोर्टल, प्रधान मंत्री कार्यालय से, राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति सचिवालयों से दस्ती तौर पर प्रतिवर्ष औसतन 10000 से 12000 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अधिकांश शिकायतें निर्णयों की प्रदायगे में विलब से संबन्धित हैं, कुछ शिकायतें न्यायालयों द्वारा अनुचित निर्णयों से और कुछ न्यायालयों में व्याप्त तथा कथित भ्रष्टाचार से संबन्धित हैं। न्यायपालिका से संबन्धित ऐसी शिकायतें आगे की समुचित कार्रवाई के लिए महा सचिव, भारत का उच्चतम न्यायालय / महा निबंधक, संबन्धित उच्च न्यायालयों को अग्रेषित की जाती हैं यदि कोई शिकायत न्यायिक अधिकारियों के तथा कथित भ्रष्टाचार / कदाचार से संबन्धित होती है तो इस याचिका के साथ सत्यापन योग्य तथ्यों के साथ शपथ पत्र भी संलग्न करना आवश्यक है। विधिक सहायता / समर्थन के लिए अनुरोध भी प्राप्त होते हैं। ऐसी शिकायतों को निवारण हेतु उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाता है।

अधिकांश शिकायतकर्ता न्याय विभाग द्वारा शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता से पूर्णतः संतुष्ट हैं।

शिकायतकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों से संबंधित शिकायतों को शीघ्र निपटान के लिए सीधे उनके निम्नलिखित ई–मेल पर प्रेषित करें:

| क्रम संख्या | उच्च न्यायालय का नाम | ई–मेल आईडी |
|---|---|---|
| 1. | भारत का उच्चतम न्यायालय | supremecourt@nic-in |
| 2. | इलाहाबाद उच्च न्यायालय | rg@allahabadhighcourt-in |
| 3. | त्रिपुरा उच्च न्यायालय | thc-vigilance@gmail-com |
| 4. | गौहाटी उच्च न्यायालय | regv-ghc@gmail-com |
| 5. | केरल उच्च न्यायालय | rsjhc-ker@nic-in |
| 6. | झारखंड उच्च न्यायालय | admn-misc-jhcranchi@gmail-com<br>vigilancecellscs-jhcranchi@gmail-com |
| 7. | उत्तराखंड उच्च न्यायालय | rg-ukhc@indiancourts-nic-in |
| 8. | मेघालय उच्च न्यायालय | rg-mglhc@indiancourts-nic-in |
| 9. | दिल्ली उच्च न्यायालय | aojestablishment2-dhc@nic-in |
| 10. | मुंबई उच्च न्यायालय | rgsid&bhc@nic-in |
| 11. | सिक्किम उच्च न्यायालय | cpc&sik@nic-in |
| 12. | पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय | reg-vig&phc@indianjudiciary-gov-in |
| 13. | हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय | arvindm@aij-gov-in |
| 14. | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय | vv&hc-cg@gov-in |
| 16. | आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय | svsrmoorty@gmail-com |
| 17. | गुजरात उच्च न्यायालय | rg&hc&guj@nic-in |
| 18. | राजस्थान उच्च न्यायालय | regadmn&rhc&rj@gov-in<br>rajinder-tuteja@aij-gov-in |
| 19. | जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय | myakhoon@gmail-com |
| 20. | पटना उच्च न्यायालय | grievance@hck-gov-in |
| 21. | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय | phcgrievance&bih@gov-in |
| 22. | मद्रास उच्च न्यायालय | usdey15@gmail-com<br>rggriavance@yahoo-com |
| 23. | मणिपुर उच्च न्यायालय | regrvigil-tn@nic-in |
| 24. | ओडिशा उच्च न्यायालय | nd-grievance&hcm@gov-in |
| 25. | कलकत्ता उच्च न्यायालय | rg-orihc@indiancourts-nic-in |
| 26. | नालसा | cpc&cal@indianjudiciary-gov-in |

शिकायत कर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी शिकायतें केवल लोक शिकायत पोर्टल cpgrams&darpg@nic पदपर ही दर्ज करें। न्याय विभाग द्वारा शिकायतों के लिए शिकायत कर्ताओंध्नागरिकों को सूचना/मार्ग–दर्शन हेतु संबंधित विस्तृत दिशा–निदेश वैबसाइट "doj-gov-in" पर अपलोड किए गए हैं। निदेशक (लोक शिकायत), न्याय विभाग,कमरा संख्या– 12–ख जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली से सीधे दूरभाषः 011–23072135 पर संपर्क कर सकते हैं।

## (3) महिलाओं का सशक्तीकरण

कार्य–स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण। कार्य–स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतिबंध) अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) के अनुपालन में 24.11.2015 को विभाग की पीड़ित महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति में तीन महिला कर्मचारी (गैर सरकारी संगठन से एक सदस्य सहित) और दो पुरुष कर्मचारी हैं।

## (4) स्वच्छ भारत

भारत के माननीय प्रधान मंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के आह्वान पर न्याय विभाग ने अनेक कार्यकलाप आरंभ किए। इस संबंध में 25 सितंबर, 2014 से 1 अक्तूबर, 2014 तक सफाई, परिसर, आस–पास का क्षेत्र, गलियारों की सफाई और पुराने रिकार्डों को समापट करने जैसे विभिन्न कार्यकलाप संचालित किए गए। 2 अक्तूबर, 2014 को सचिव (न्याय) द्वारा सभी कर्मचारियों को "स्वच्छता शपथ" दिलाई गई। सचिव (न्याय) के नेतृत्व में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 अक्तूबर, 2014 को स्वैच्छिक श्रमदान किया। 3 अक्तूबर, 2014 से 31 अक्तूबर,2015 और 1 नवंबर, 2015 से 31 अक्तूबर, 2019 तक की अवधि के लिए विस्तृत कार्य–योजना तैयार की गई है।

## (5) ई–ऑफिस का कार्यान्वयन

न्याय विभाग ने अपनी सभी पुरानी और वर्तमान फाइलों के डिजिटलीकरण का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है। अब तक लगभग 10,00,000 पन्नों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। न्याय विभाग ने अपने दैनिक कार्यों में ई–ऑफिस के कार्यान्वयन में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ई–ऑफिस प्रणाली के तहत फाइल ट्रैकिंग सिस्टम(एफटीएस) अपनाया गया। विभाग ने वर्ष 2016–17 के दौरान ई–फाइल पर भी कार्य करना शुरू कर दिया है। ई–ऑफिस के सुगम कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकारियोंध्कर्मचारियों को एनआईसी के परामर्श से ई–ऑफिस पर कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

माननीय प्रधान मंत्री के आह्वान पर विभाग नकदी रहित लेन–देन और डिजिटल भुगतान प्रणाली की ओर भी कदम बढ़ा रहा है।

## (6) विभाग के कार्यकरण के बारे में 21.09.2016 को आयोजित समीक्षा बैठक

दिनांक 21.09.2016 को जैसलमेर हाउस में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें माननीय केंद्रीय विध और न्याय मंत्री और माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री ने विभाग के विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान, सचिव (न्याय) भी विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित थीं और उन्होंने चर्चा की।

माननीय मंत्री महोदय ने जैसलमेर हाउस परिसर का निरीक्षण भी किया।

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव हिंदी दिवस के अवसर पर
अधिकारियों/कर्मचारियों को संबोधित करते हुए

## 11. राजभाषा अनुभाग

न्याय विभाग का राजभाषा अनुभाग भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कारगर कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है। यह अनुभाग विभाग की विभिन्न सामग्रियों का अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के अतिरिक्त सरकार के कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है।

### (2) राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्टों का संग्रहण और विश्लेषण

विभाग के सभी अनुभागों से राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्टें संग्रहीत करके उनकी समीक्षा की गई. रिपोर्टों में पाई गई कमियों के बारे में अनुभागों को सूचित किया गया तथा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में सुझाव दिए गए। इन रिपोर्टों के आधार पर समेकित विवरण तैयार किया गया और सभी अनुभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में समीक्षा की गई।

### (3) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

वर्ष 2016–17 के दौरान न्याय विभाग में राजभाषा अनुभाग की स्थापना किए जाने के बाद सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए फरवरी, 2016 में संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया। इस समिति की प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक आयोजित की गई और विभाग के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति की समीक्षा की गई। विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभागों में इस बैठक के कार्यवृत को परिचालित किया गया। इस समिति ने हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु समस्याओं का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए कारगर उपायों पर चर्चा की। इस समिति की बैठकों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार संघीय सरकार का कार्य अधिकाधिक हिंदी में किए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस समिति की दिनांक 31–03–2016 (प्रथम), 28–06–2016 (द्वितीय), 28–09–2016 (तृतीय) और 27–12–2016 (चतुर्थ) को बैठकें आयोजित की गई। समिति द्वारा लिए गए निर्णयों पर विभाग के सभी अनुभागों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

### (4) सरकारी कामकाज में हिंदी पत्राचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यान्वयन

विभाग में कर्मचारियों के लिए सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी में टिप्पण और आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना और अधिकारियों के लिए हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना भी वर्ष 2016–17 से आरंभ की गई है।

### (5) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

विभाग में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जो दिनांक 25–05–2016 (प्रथम), 27–09–2016 (द्वितीय) और 22–12–2016 (तृतीय) को आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में राजभाषा संवर्ग के सेवानिवृत अधिकारियों को दैनिक सरकारी कार्य में राजभाषा के प्रयोग में वृद्धि के बारे में कार्मिकों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया गया और विभाग के अधिकारियोंध्कर्मचारियों को हिंदी में काम करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास किए गए और उन्हें राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के विभिन्न नियमों और विनियमों की जानकारी प्रदान की गई। इससे सरकारी कामकाज में हिंदी टिप्पण और हिंदी पत्राचार के प्रतिशत में उत्तरोत्तर सुधार हुआ।

## (6) विभाग के विभिन्न दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद

समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, ई–बुक, निष्पादन बजट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया–ज्ञापन, मंत्रिमण्डल हेतु टिप्पणियों (केबिनेट नोट), संसद प्रश्नों में दिए गए आश्वासनों पर कार्यान्वयन रिपोर्टों, नालसा से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों और सामान्य रूप से जारी किए जाने वाले दस्तावेजों जिनमें अधिसूचनाएं, मंत्री महोदय की ओर से भेजे जाने वाले अर्ध शासकीय पत्र, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले पत्र और दैनिक प्रकृति के सामान्य आदेश शामिल हैं, आदि का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कार्य सम्पन्न किया गया।

## (7) हिंदी पखवाड़े का आयोजन

विभाग में पहली बार 14.09.2016 से 28.09.2016 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। 14 सितंबर, 2016 को हिंदी दिवस पर माननीय सचिव महोदया की उपस्थिति में माननीय विधि और न्याय मंत्री और माननीय गृह मंत्री महोदय के संदेशों का वाचन किया गया। सचिव (न्याय) ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए।

विभाग के अधिकारी/कर्मचारी हिंदी कार्यशाला में भाग लेते हुए

इस दौरान 4 लिखित अर्थात हिंदी निबंध प्रतियोगिता, टिप्पण और आलेखन प्रतियोगिता, हिंदी टंकण प्रतियोगिता और श्रुत लेखन प्रतियोगिता तथा 2 मौखिक प्रतियोगिताएं अर्थात काव्य पाठ प्रतियोगिता और आशु संभाषण प्रतियोगिता आयोजित की गईं जिनमें कुल 59 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को 4 नकद पुरस्कार (प्रथम : 3000 रुपए, द्वितीय : 2000 रुपए, तृतीय : 1500 रुपए और प्रोत्साहन : 500 रुपए) और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। सचिव (न्याय) महोदया ने दिनांक 26–12–2016 को 24 प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए।

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव,सचिव (न्याय) श्री राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव (प्रशासन) एवं राजभाषा अधिकारी, श्री ए.के. लाल, संयुक्त सचिव तथा श्री वी.के. त्रिपाठी, निदेशक (प्रशासन) की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान करते हुए।

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव,सचिव (न्याय) विभाग के अधिकारियों तथा हिन्दी पखवाड़ा प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं के साथ।

### (8) हिंदी पुस्तकों की खरीद

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभाग में पुस्तकालय हेतु हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए प्रतिष्ठित हिंदी लेखकों और विशिष्ट व्यक्तियों की पुस्तकों की सूची सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से तैयार की गई और लगभग 5000/– रुपए मूल्य की पुस्तकें खरीदी गईं।

## 12. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त विधिक सहायता के लिए प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 (1) भी राज्यों के लिए यह अनिवार्य करते हैं कि वे विधि और विधिक प्रणाली के समक्ष समानता सुनिश्चित करें जो सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देते हैं। वर्ष 1987 में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए समान अवसर के आधार पर स्वतंत्र और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क स्थापित करने के लिए 9 नवम्बर, 1995 को अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए और इस अधिनियम के तहत उपलब्ध विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए नीतियां और सिद्धांत निर्धारित करने के लिए गठित किया गया है।

(2) हर राज्य में, एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। नालसा नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिलों में और राज्य में लोक अदालत का संचालन करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है।

(3) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को विधिक सेवाएं कार्यक्रम के प्रशासन औरइसको लागू करने के लिए गठित किया गया है जहां तक यह भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित है।

### (4) नालसा का कामकाज

नालसा देश भर में विधिक सेवा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियों, सिद्धांतों, दिशा निर्देशोंको निर्धारित करता है और प्रभावी फ्रेम और किफायती योजनाएं बनाता है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों, को नियमित आधार पर निम्नलिखित मुख्य कार्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है:

- पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना ;
- विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन करना और
- ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

## (5) निःशुल्क विधिक सेवाएं

निःशुल्क विधिक सेवाओं में निम्नांकित शामिल हैं: –

क) कोर्ट फीस, प्रक्रिया फीस और किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में देय या किए गए अन्य सभी प्रभारों का भुगतान,

ख) विधिक कार्यवाही में वकीलों की सेवा प्रदान करना,

ग) विधिक कार्यवाही में आदेश प्राप्त करना और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां की आपूर्ति।

घ) मुद्रण और विधिक कार्यवाही में दस्तावेजों के अनुवाद सहित अपील, पेपर बुक की तैयारी।

**मुफ्त विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में शामिल हैं:–**

i) महिलाएं और बच्चे;

ii) अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य

iii) औद्योगिक कामगार

iv) बड़े पैमाने पर आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार

v) विकलांग व्यक्ति।

vi) हिरासत में व्यक्ति

vii) व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है। (सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में सीमा 1,25,000 रुपये) है।

viii) तस्करी के शिकार मनुष्य और भिखारी

अप्रैल, 2016 से सितंबर, 2016 तक देश में 2.28 लाख व्यक्ति विधिक सहायता सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं। इनमें से 19762 अनुसूचित जातियों से, लगभग 12558 अनुसूचित जनजातियों से, लगभग 49672 महिलाएं और लगभग 7208 बच्चे थे।

## (6) लोक अदालत

लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान ढांचे में से एक है। यह ऐसा मंच है जहां न्यायालयों में लंबित अथवा वाद पूर्व स्थिति वाले विवादों ६ मामलों का समाधान ६ मिलजुल कर समझौता कराया जाता है। लोक अदालत को विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन सांविधिक दर्जा दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णाय को दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होती है तथा किसी न्यायालय के समक्ष इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।

(क) लोक अदालतों का आयोजन नालसा के मार्ग–दर्शन में विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों तथा वाद पूर्व स्थिति के मामलों के समाधान के लिए विधिक सेवाएँ प्राधिकरणध्समितियों द्वारा किया जा रहा है। लोक अदालतों में निम्न प्रकार के मामले उठाए जा रहे हैंः

1. वैवाहिक / पारिवारिक विवाद
2. आपराधिक मिश्रयोग्य अपराध मामले
3. भूमि अधिग्रहण मामले
4. श्रम विवाद
5. कामगारों का मुआवजा
6. बैंक वसूली मामले (राष्ट्रीयकृत, बहुराष्ट्रीय और निजी बैंक)
7. पेंशन मामले
8. आवासीय मण्डल और मलीन वस्ती निकासी मामले और आवासीय वित्त मामले
9. उपभोक्ता शिकायत मामले
10. बिजली संबंधी मामले
11. टेलीफोन बिल विवाद
12. गृह कर सहित नगर निगम विषयों के मामले आदि

(ख) विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम 1987 में अध्याय–VI–क को वर्ष 2002 में "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" से संबंधित विवादों के समझौते और समाधान के लिए अनिवार्य वाद पूर्व ढांचा प्रदान करने की दृष्टि से समाहित किया गया है।

आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ ने अध्याय VI–क के अधीन सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए स्थाई लोक अदालतें स्थापित की हैं।

## (7) राष्ट्रीय लोक अदालतें

नियमित लोक अदालतों के अतिरिक्त देश भर में प्रति माह विशिष्ट विषयवस्तु के बारे में मासिक लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं।

अप्रैल, 2016 से सितंबर, 2016 की अवधि के दौरान लोक अदालतों में विभिन्न मामलों का निपटान निम्नानुसार है।

(i) **राष्ट्रीय लोक अदालतें (मासिक):**

मासिक राष्ट्रीय लोक अदालतें विभिन्न विषयक मामलों पर स्थापित की गई थी और 87.09 लाख विवाद पूर्व और लंबित दोनों मामले निपटाए गए और निपटान राशि 7213.61 रुपए थी।

(ii) **नियमित लोक अदालतः**

56934 लोक अदालतें आयोजित की गईं और 11.20 लाख मामलों का निपटान किया गया था। 29554 मोटर वाहन दुर्घटना दावा मामलों में 435.19 करोड़ रुपए की राशि के मुआवजे का भुगतान किया गया।

(iii) **स्थाई लोक अदालतें:**

10146 बैठकें आयोजित की गईं और नियमित लोक अदालतों में 41913 मामले निपटाए गए और कुल 78.95 करोड़ रुपए के मूल्य के समाधान किए गए।

(iv) **मध्यस्थता के माध्यम से निपटाए गए मामले:**

मध्यस्थता के माध्यम से 40851 मामले निपटाए गए।

## (8) विधिक जागरूकता कार्यक्रम

निवारक और कार्यनीतिक विधिक सहायता के भाग के रूप में नालसा, राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के माध्यम से विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करता है। कुछ राज्यों में ग्रामीण साक्षरता शिविरों के साथ–साथ सामान्य रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रति वर्ष विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नालसा ने मनरेगा, वरिष्ठ नागरिक अधिकार और महिला कल्याण कार्यक्रमों के बारे में विशेष विधिक साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया। नालसा द्वारा लोक अदालत के माध्यम से मनरेगा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष योजना कार्यान्वित की गई।

## (9) पीड़ितों को मुआवजा

धारा 357–क में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से अपराध के परिणामस्वरूप क्षति अथवा घाव से पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, को मुआवजे के उद्देश्य से निधियाँ प्रदान करने के लिए योजना तैयार करेगा। तदनुसार, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने योजनाएँ बनाई हैं जिनमें तेजाब आक्रमण, यौन शोषण आदि के पीड़ितों सहित सभी पीड़ितों को मुआवजा किया जा सकता है। अधिकांश राज्यों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुआवजा प्रदान करते हैं और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण धनराशि वितरित करते हैं।

अप्रैल, 2016 से सितंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को 5602 आवेदन प्राप्त हुए और 3653 आवेदन निपटाए गए और 44.34 करोड़ रुपए की धनराशि समाधान राशि के रूप में प्रदान की गई।

## (10) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की हैदराबाद, तेलंगाना में 9–10 अप्रैल, 2016 को आयोजित अखिल भारतीय बैठक।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की 14वीं अखिल भारतीय बैठक हैदराबाद, तेलंगाना में 9–10 अप्रैल, 2016 को आयोजित की गई। इस बैठक का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.एस. ठाकुर,भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और मुख्य संरक्षक, नालसा ने श्री के. चन्द्रशेखर राव, माननीय मुख्यमंत्री, तेलंगाना, श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा, माननीय विधि और न्याय मंत्री, माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल आर. दवे, न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा, माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. वी. रमण, न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप बी. भोसले, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति, हैदराबाद उच्च न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. चन्द्रैया, कार्यकारी अध्यक्ष, तेलंगना राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण और माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश रंगनाथन, कार्यकारी अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण की गरिमामयी उपस्थिति में किया।

आरंभिक सत्र में तेलंगाना के मुख्य न्यायमूर्ति ने लोक अदालतों सहित एडीआर समाधान ढांचे को अपनाने और इसके कार्यकरण में विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों को हर आवश्यक सहयोग देने के प्रति अपनी सरकार की वचनबद्धता दोहरायी।

माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.एस. ठाकुर,भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और मुख्य संरक्षक, नालसा ने शीघ्र न्याय प्रदान करने और इसके द्वारा न्यायालयों पर बोझ को कम करने में लोक अदालतों के महत्व को उजागर किया। माननीय न्यायमूर्ति ने इस तथ्य को भी उजागर किया कि लोक अदालतें वाद–पूर्व प्रकरणों में प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ मामलों को न्याय प्रदायगी तंत्र में फसने से बचा रही हैं।

इसके बाद के सत्रों में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने विधिक सेवा संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रही सभी प्रकार की विधिक सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक के मुख्य परिणाम नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं:

क) सभी राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दर से कम दर पर पैनल वकीलों को देय फीस निर्धारित करने के लिए विनियमनों में संशोधन के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए संकल्प पारित करना;

ख) प्रत्येक विधिक सहायता प्राप्त मामले के लिए प्रगति का गहन अनुश्रवण, पैनल वकीलों को, जहां आवश्यक हो, मार्ग दर्शन प्रदान करने और गैर निष्पादन के लिए उचित कार्यवाही करने के लिए ढांचा तैयार करना;

ग) प्रत्येक जिले के लिए पैनल वकीलों को नियमित प्रशिक्षण देना;

घ) सभी कारागारों में विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि वकील इन क्लीनिकों में पर्याप्त दौरे करें (अधिमानतः प्रतिदिन);

ङ) कारागार स्थित क्लीनिकों का पर्याप्त प्रचार करना और पैनल वकीलों / अर्ध विधिक स्वयं सेवकों द्वारा कारागात के कैदियों को सुविधा प्रदान किया जाना;

च) यह सुनिश्चित करने के लिए ढांचा तैयार करना कि लोक अदालतों में लंबित मामलों के निपटान के आंकड़े न्यायालयों में ऐसे मामलों के लंबन में आई कमी के स्पष्टतः अनुरूप हों;

छ) जैसा कि 13वीं अखिल भारतीय बैठक में पारित किया गया था लोक अदालतों के संदर्भ में वाद पूर्व मामलों की परिभाषा का कड़ाई से अनुपालन करना;

ज) राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही करना ताकि वे पीड़ित मुआवजा योजनाओं में संशोधन करें और पीड़ित मुआवजा निधि को राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों / जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरणों के पास रखें ताकि आदेशित धनराशि को समय पर संवितरित करना सुनिश्चित हो सके।

## (11) नालसा की योजनाओं का कार्यान्वयन

विधिक सेवाओं की 7 नई योजनाओं को 2015 में आरंभ किए जाने के परिणामस्वरूप एक वर्ष के लिए न्यूनताम कार्य योजना तैयार की गई और सभी राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों को भेजी गई। योजना के अनुसार संबंधित विभागों के जिला प्राधिकारियों के समन्वयन से राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों ने निम्नांकित कार्यकलाप आयोजित किए हैं:

क) प्रत्येक योजना के मामले में जिलों का अभिनिर्धारण करना जो कार्यनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता के लिए संगत और महत्वपूर्ण हो;

ख) अर्ध विधिक स्वयंसेवकों और पैनल वकीलों, जिला अधिकारियों (कार्यरत अथवा सेवानिवृत) और गैर सरकारी संगठनों की टीमों का गठन करना ताकि नालसा की योजना को सरकार की योजनाओं और नीतियों में समाहित करना सुनिश्चित किया जा सके;

ग) नालसा की प्रत्येक योजना की विषय वस्तु के बारे में सरकारी योजना का डाटाबेस तैयार करना;

घ) प्रत्येक योजना के बारे में विभिन्न पणधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

## (12) राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरणों की क्षेत्रीय बैठकें

चर्चा के पश्चात सभी राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरणों को मोटे तौर पर दिए गए सामान्य सुझाव निम्नांकित हैं: "विधिक सेवाएं कार्यक्रमों का कारगर कार्यान्वयनरू चुनौतियां और आगे का मार्ग प्रशस्त करना" के बारे में अब तक राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरणों की तीन क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गई हैं।

(i) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अगरतला में 18 और 19 जून, 2016 को आयोजित की गई;

(ii) दक्षिणी राज्यों के लिए पुडुचेरी में 23–24 जुलाई, 2016 को आयोजित की गई;

(iii) उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित पूर्वी राज्यों के लिए बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में 3–4 सितंबर, 2016 को आयोजित की गई।

बैठकों के मोटे तौर पर उद्देश्य निम्नांकित थे:

क) क्षेत्र में राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरणों की प्राथमिकताओं को समझना और इन पर सर्वसहमति बनाना;

ख) विधिक सेवाएं संस्थानों की उपस्थिति और उनके कार्य को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करना;

ग) विधिक सेवाओं की सीमा और गुणवत्ता को बढ़ाकर अनुदान की सम्पूर्ण और समुचित उपयोगिता के कारगर तरीकों का पता लगाना;

घ) क्षेत्र विशेष की चुनौतियों का पता लगाना और आगे का मार्ग प्रशस्त करना।

चर्चा के पश्चात सभी राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों को दिए गए सामान्य विस्तृत सुझाव निम्नांकित हैं:

क) संबंधित उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया गया कि वे सदस्य सचिवों और जिला सचिवों के संस्वीकृत पदों को भरें और इस दौरान सचिवों का कार्य देख रहे न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक कार्य से आधे दिन की और इकाइयों से समानुपात में कार्य की छूट दी जाए;

ख) पैनल वकीलों के लिए बेहतर प्रशिक्षण केलेण्डर तैयार किया जाए और मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ;

ग) कारगर प्राधिकारियों के साथ कारगर समन्वय रखा जाए और सभी कारागारों में लंबी अवधि के दोषी कैदियों को अर्ध विधिक स्वयंसेवकों के रूप में प्रशिक्षित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कारागारों में सभी विचारणाधीन कैदियों की विधिक सहायता की आवश्यकताओं का पता चल सके। अर्ध विधिक स्वयंसेवकों को संगत अभिलेख तैयार करने चाहिए और कारागार में आने वाले वकीलों को देने चाहिए;

घ) विधिक सेवाएं संस्थानों की उपस्थिति और प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया, होर्डिंग लगाना, सोशल मीडिया, बल्क एसएमएस आदि सहित उनके कार्य को बढ़ाने की हर संभव विधि को अपनाना;

ङ) प्रत्येक विधिक सेवा के बारे में संभावित खर्च का अनुमान लगाना और उनके पास उपलब्ध धनराशि को प्रथम उपयोग के लिए आगे ले जाना;

च) गत वर्ष की आगे लाई गई अनुदान राशि के लिए तुरंत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना;

छ) सभी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरणों के लिए वेबसाइट तैयार करना ताकि उसे ऑनलाइन आवेदन करने, शिकायत अग्रेषित करने और आंकड़ों को रिपोर्ट करने के लिए नालसा द्वारा विकसित किए जा रहे ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जा सके।

## (13) आकाशवाणी के माध्यम से भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा विशेष वार्ता।

अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की संध्या पर 18–07–2016 को देशभर में आकाशवाणी के चौनलों पर "विधिक सहायता के माध्यम से सशक्तिकरण" विषय पर भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और मुख्य संरक्षक, नालसा के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की गई।

## (14) रिमांड अधिवक्ता

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी विचारणाधीन कैदियों को रिमांड के पहले ही दिन से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए,सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को सलाह दी गई कि वे प्रत्येक फौजदारी न्यायालय के लिए एक रिमांड वकील नियुक्त करे जो हिरासत में ऐसे अभियुक्त का प्रति निधित्व करेगा जिसका कोई प्रतिनिधि

नहीं है, उसकी रिमांड का विरोध करेगा, जमानत के लिए आवेदन और विविध आवेदन आदि प्रस्तुत करेगा और ऐसे अन्य सभी कार्य करेगा जो रिमांड के स्तर पर अभियुक्त को कारगर प्रतिनिधित्व देने के लिए आवश्यक हों। तदनुसार अधिकांश राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों ने मजिस्ट्रेट न्यायालय और सत्र न्यायालय, जहां रिमांड की कार्यवाही की जाती है,के लिएएक पैनल वकील नामांकित किया है।

## (15) कारागार के कैदियों से वार्ता

नालसा के अधिकारियों ने केंद्रीय कारागार (त्रिपुरा), येरवदा (पुणे), जगदलपुर (छत्तीसगढ़), दीमापुर (नागालैंड) नामक कारागारों का दौरा किया और विचारणाधीन कैदियों तथा सिद्ध–दोष कैदियों तथा जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिकारियों, अर्ध विधिक स्वयं सेवकों, पैनल वकीलों से चर्चा की तथा न्यायालयों में कैदियों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली में सुधार करने के लिए आवश्यक निदेश दिए। यह पता चला कि कई स्थानों में कैदियों को शारीरिक रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। कुछ कैदियों को उच्चतर न्यायालयों में अपनी अपीलों की स्थिति की जानकारी नहीं थी। परिणामस्वरूप हिरासत में व्यक्तियों के विधिक प्रतिनिधित्व के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई और कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरणों को भेजी गई।

## (16) विचारणाधीन कैदी समीक्षा समितियां (यूटीआरसी)

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सी) संख्या 406ध्2013 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436क का लाभ देते हुए ऐसे विचारणाधीन कैदियों को रिहा करने के निदेश दिए हैं जिन्होंने आधी सजा काट ली है। विचारणाधीन कैदी समीक्षा समितियों का गठन संबंधित जिला जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में सभी जिलों में कर दिया गया है और जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 436क का लाभ प्रदान करने के लिए विचारणाधीन कैदियों की सहायता कर रहे हैं। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिवों द्वारा अभिनिर्धारित ऐसे 1034 मामलों में से 432 विचारणाधीन कैदियों को रिहा करने के लिए यूटीआरसी द्वारा सिफारिश की गई और इनमें से 167 को रिहा कर दिया गया।

## (17) शिकायतों / लोक शिकायतों के निवारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

आम जनता की शिकायतों के कारगर और सामयिक निवारण सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को सुचारु बनाने की दृष्टि से एक मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की गई और इसे कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकारणों को भेजा गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह प्रक्रिया अपना रहे हैं जिससे केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और अनुश्रवण तंत्र में पंजीकृत विधिक सेवाएँ प्राधिकारणों से संबंधित लंबित शिकायतों की संख्या शून्य हो गई है। बाद में इस उद्देश्य के लिए एक ऑनलाइन वेब पोर्टल भी आरंभ किया जाएगा।

### (18) यौन कर्मियों को विधिक सेवाएँ

नालसा के अधिकारियों ने पुणे और सांगली में यौन कर्मियों और उनके साथ काम कर रहे सीबीओ से विचार–विमर्श किया जिससे उक्त दोनों जिलों में यौन कर्मियों और उनके साथ काम कर रहे संगठनों तथा जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों, पुलिस प्राधिकारियों और विधिक सेवाएँ संस्थानों के बीच संपर्क स्थापित हो गया।

### (19) गुमशुदा और देह–व्यापार के शिकार बच्चों के पुनर्वास के बारे में दिनांक 22 और 23 अगस्त, 2016 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला

राष्ट्रीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण ने दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण और बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से अखिल भारतीय बाल अधिकार प्रकोष्ठ के माध्यम से गुमशुदा और देह–व्यापार के शिकार बच्चों के पुनर्वास के बारे में दिनांक 22 और 23 अगस्त, 2016 को राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला का उद्घाटन भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और मुख्य संरक्षक, राष्ट्रीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण (नालसा) ने माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल आर. दवे, न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा, माननीय न्यायमूर्ति सुश्री जी. रोहिणी, मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, माननीय न्यायमूर्ति सुश्री इंदिरा बनर्जी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, जिला राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण तथा नोबल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी की उपस्थिति में किया।

मसौदा मानक प्रचालन प्रक्रिया को बच्चों के मूल निवास स्थान का सरलता से और तेजी से पता लगाना सुकर बनाने तथा केंद्रीय महिला आयोग द्वारा पुनर्स्थापन और पुनर्वास हेतु योजना तैयार करने की दृष्टि से विकसित किया गया। उपर्युक्त मसौदा मानक संचालन प्रक्रिया को कार्यान्वयन हेतु सभी राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों को भेजा गया है।

### (20) जल संसाधन संरक्षण के लिए पहल

राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों को निवारक और कार्यनीतिक स्तर के जागरूकता कार्यक्रमों के भाग के रूप में "जल संसाधनों का संरक्षण" के मुद्दे को उठाने के लिए सलाह जारी की गई है। इस बारे में एक विस्तृत संकल्पना नोट सभी राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों को भेजा गया है।

### (21) प्रशिक्षण मॉड्यूल

नालसा की प्रशिक्षण मॉड्यूल की समिति ने दो प्रशिक्षण (i) विधिक सेवाएँ वकीलों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल भाग–II; और (ii) किशोर न्याय (बाल संरक्षण एवं देखभाल) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्डों से जुड़े विधिक सेवाएँ वकीलों और परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं।

किशोर न्याय बोर्डों से जुड़े विधिक सेवाएँ वकीलों और परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए चार दिवसीय प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 27–30 अगस्त, 2016 के दौरान महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, ठाणे में किया गया। किशोर न्याय नियम, 2016 के प्रकाशन के पश्चात मॉड्यूल में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं और इस मॉड्यूल को विधिक सेवाएँ वकीलों हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल भाग–प्प के साथ 9 नवंबर, 2016 को जारी किया गया है।

### (22) इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 30 सितंबर, 2016 को आयोजित सदस्य सचिवों, राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों की परामर्शी बैठक

विधिक सेवाएँ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उठने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों ने इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 30 सितंबर, 2016 को सदस्य सचिवों की परामर्शी बैठक आयोजित की।

### (23) दूरदर्शन पर माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा का विचार–विमर्शी सत्र

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने श्री प्रकाश झा, निदेशक और निर्माता मैसर्स प्रकाश झा प्रोडक्शन्स के साथ राष्ट्रीय दूरदर्शन (दूरदर्शन) पर आए और समाज के उपेक्षित वर्गों को शीघ्र और गुणवत्तापरक विधिक सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए नालसा तथा राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण प्रदान किया।

### (24) नालसा के वेब पोर्टल का आरंभ

नालसा ने ऑनलाइन आवेदन भरने के पोर्टल के साथ शिकायतों की वेब आधारित निगरानी के लिए एक अन्य पोर्टल भी विकसित किया है। इसका शुभारंभ डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में 1 अक्तूबर, 2016 को आयोजित कार्यक्रम में भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा किया गया। नालसा राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों और जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों द्वारा सांख्यिकीय सूचना को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए पोर्टल विकसित करने हेतु भी कार्य कर रहा है।

### (25) नालसा के थीम सॉग का लोकार्पण

दिनांक 09.04.2016 को आयोजित केंद्रीय प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया कि मैसर्स प्रकाश झा प्रोडक्शन्स द्वारा एक डॉक्यूमेंटरी, एक थीम सांग और 15 लघु कैप्सूल तैयार कराये जाएँ। भारत के माननीय न्यायमूर्ति और माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा देश भर के सभी उपेक्षित समुदायों को न्याय तक पहुँच प्रदान करने के लिए प्राधिकरण के विधिक सहायता कार्यक्रमों / पहलों को व्यापक प्रचार प्रदान करने हेतु नालसा की प्रतिबद्धता दर्शाने वाला थीम सॉग दिनांक 01–10–2016 को लोकार्पित किया गया। एक संकल्प गीत के साथ विभिन्न वर्गों को प्रदत्त विधिक सेवाएँ दर्शाते हुए एक डॉक्यूमेंटरी और लघु अवधि के 5 कैप्सूल 9 नवंबर, 2016 को विधिक सेवाएँ दिवस पर लोकार्पित किए गए।

## (26) नालसा की डॉक्यूमेंटरी

प्रकाश झा प्रोडक्शन्स ने एक डॉक्यूमेंटरी का निर्माण किया है जिसमें विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली को दर्शाया गया है और कुछेक ऐसे मामले उजागर किए गए हैं जिनमें उपेक्षित वर्गों के व्यक्तियों को अपनी अपनी पात्रता का दावा करने और अपने अधिकारों को प्राप्त करने में विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों द्वारा सहायता की गई है। डॉक्यूमेंटरी, थीम सॉग और रियल स्टोरी कैपसूलों को दूरदर्शन, स्थानीय केबल टीवी चौनलों, मोबाइल वैनों और अन्य विधियों से प्रचारित करने की योजना मनाई जा रही है।

## (27) दिनांक 01–10–2016 को नई दिल्ली में आयोजित मध्यस्थता और आगे मार्ग प्रशस्त करने में चुनौतियों के बारे में राष्ट्रीय परामर्श

मध्यस्थता और आगे मार्ग प्रशस्त करने में चुनौतियों के बारे में राष्ट्रीय परामर्शदिनांक 01–10–2016 को डॉ डी.एस. कोठारी ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में आयोजितकी गई। उक्त कार्यशाला में राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष और उच्च न्यायालयों की मध्यस्थता समिति में प्रत्येक उच्च न्यायालय के 2–3 मध्यस्थोंध्प्रशिक्षकों ने भाग लिया। कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य विधिक सेवाएँ संस्थानों और मध्यस्थता कार्यकलापों के प्रबंधन लिए मध्यस्थता समितियों के बीच समन्यवयन को बढ़ावा देना और इसके लिए आवश्यक निधियों के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना है।

## (28) नालसा की दो नई योजनाएँ

(i) **नालसा (तेजाब हमले के पीड़ितों को विधिक सेवाएँ) योजना, 2016:**

लक्ष्मी बनाम भारत संघ रिट याचिका (सी0 संख्या 129ध्2006, के मामले भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय दिनांक 10–04–2015 के आदेश द्वारा निदेश दिया कि राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों के सदस्य सचिव इस मुद्दे को राज्य सरकार के साथ उठाएंगे ताकि न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन हो और न्यूनतम 3,00,000ध्– रुपए की राशि तेजाब हमले की प्रत्येक पीड़ित को उपलब्ध कराई जाए। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों को निदेश दिए कि राज्य ध संघ राज्य क्षेत्रों में पीड़ित मुआवजा योजना का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि तेजाब हमले के प्रत्येक पीड़ित को पीड़ित मुआवजा योजना का लाभ लिया जा सके। तदनुसार, तेजाब हमले के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए नालसा (तेजाब हमला पीड़ित विधिक सेवाएँ) योजना, 2016 तैयार की गई जिसका शुभारंभ 09 नवंबर, 2016 को किया गया है।

(ii) **नालसा (वरिष्ठ नागरिक विधिक सेवाएँ) योजना, 2016:**

वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सेवाओं लिए एक योजना तैयार की गई जिसे 09–11–2016 को लोकार्पित किया गया है।

## (29) नई दिल्ली में दिनांक 23–21 अक्टूबर, को 2016 आयोजित भारत में मध्यस्थता और प्रवर्तन को सुदृढ़ करने की दिशा में राष्ट्रीय पहल।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय भारत रूपान्तरण संस्थान (एनआईटीआई) अर्थात नीति आयोग, भारत सरकार और विधि और न्याय मंत्रालय के साथ दिनांक 21–23 अक्टूबर, 2016 को दिल्ली में "भारत में मध्यस्थता को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय पहल" पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया। भारत के माननीय न्यायमूर्ति और मुख्य संरक्षक, नालसा इस वैश्विक सम्मेलन के मुख्य संरक्षक थे।

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया और दिनांक 23 अक्टूबर, 2016 कोसमापन सत्र को भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने संबोधित किया।

## (30) विधिक सेवाएं दिवस 2016 का आयोजन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ दिनांक 09.11.2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'विधिक सेवाएं दिवस' मनाया। भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक माननीय न्यायमूर्ति श्री टी एस ठाकुर मुख्य अतिथि थे। एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें 6 भिन्न–भिन्न जोनों से सर्वोत्तम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और सर्वोत्तम अर्ध–विधिकस्वयंसेवक के योगदान और दोनों श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ प्राधिकरण और व्यक्ति को सम्मानित किया गया। उपर्युक्त के अलावा, माननीय मुख्य अतिथि ने निम्नांकित का लोकार्पण भी किया:

क) विधिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए एक समूह गान (संकल्प गीत)

ख) विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा न्याय तक पहुँच की पाँच वास्तविक कहानियाँ

ग) नालसा (तेजाब हमला पीड़ित विधिक सेवाएं) योजना, 2016

घ) नालसा (वरिष्ठ नागरिक विधिक सेवाएं) योजना, 2016

ङ) विधिक सेवा अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण माड्यूल भाग–2

च) किशोर न्याय बोर्ड (संवेदन) से संबन्धित परिवीक्षा अधिकारियों और विधिक सेवा अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण माड्यूल

छ) विधिक सेवा विज्ञप्ति– तिमाही विधिक सेवाएं समाचार अंक संख्या 1 – 2

## उपाबंध – XII

(कृपया अध्याय – III पैरा 1 देखें)

न्याय विभाग का संगठन–चार्ट